BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

APPEAL NO. 77 OF 2025

IN THE MATTER OF:

ATTAN MIYA ….APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS. …RESPONDENT(s)

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2 & 3 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 17.12.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE CLOSURE ORDER DT. 29.10.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-1.	
3.	COPY OF THE AUTHORIZATION LETTER ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-2	

4.	**COPY OF THE CPCB GUIDELINES ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-3**	
5.	**COPY OF THE INSPECTION REPORT DATED 02.09.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-4**	
6.	**COPY OF THE SHOW CAUSE NOTICE DATED 14.10.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-5**	
7.	**COPY OF THE INSPECTION REPORT DT. 24.10.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-6**	
8.	**COPY OF THE ORDER DT. 18.10.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-7**	
9.	**COPY OF THE LETTER DT. 30.10.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-8**	
10.	**COPY OF THE INSPECTION REPORT DT. 04.11.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-9**	
11.	**COPY OF THE INSPECTION REPORT DT. 19.11.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-10**	
12.	**COPY OF THE MOM DT. 18.12.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-11**	
13.	**COPY OF THE REPORT DT. 19.12.2025 AND PHOTOGRAPHS ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-12**	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
COUNSEL FOR STATE OF U.P.
Bhanwar09jadon09@gmail.com| 9639286572

Date: 25.02.2025

Place: NOIDA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

APPEAL NO. 77 OF 2025

IN THE MATTER OF:

ATTAN MIYA ....APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS. ...RESPONDENT(s)

RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2 & 3 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 17.12.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

IT IS MOST RESPECTFULLY SHOWETH AS UNDER:

1. **BACKGROUND OF THE MATTER**

1. That in the present appeal the appellant has challenged the closure order dated 29.10.2025 passed by the Uttar Pradesh Pollution Control Board.

A Copy of the closure order dt. 29.10.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-1.**

2. That the District Magistrate, Unnao has authorized the Sub- Divisional Magistrate, Safipur, Unnac to file the present response.

   A Copy of the authorised letter has been annexed herewith as **ANNEXURE R-2.**

2. OPERATION WITHOUT STATUTORY CTE AND CTO

3. That the Project Proponent/Appellant has been operating the said poultry layer farm, having approximately 28,000 birds and producing about 25,000 eggs per day, without obtaining any valid Consent to Establish (CTE) or Consent to Operate (CTO) under Section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. That operation of such an establishment without prior consent of the State Pollution Control Board is a statutory violation of the CPCB Environmental guidelines dt. 10.01.2022. The relevant portion of the guidelines are as under:

   "8.0 Regulatory/ Monitoring Mechanism for Poultry Farms

   - *SPCBs/PCCs shall upload Environmental Guidelines on their website.*
   - *Guidelines shall be applicable to all the category of Poultry Farms.*
   - ***Poultry Farms handling birds above 25,000 at single location will have to obtain consent to establish (CTE) and consent for operate (CTO)***

under the Water Act, 1974 & Air Act 1981 from State Pollution Control Board/Pollution Control Committee.

- ***As per the directions of Hon'ble NGT dated 10.12.2021 (O.A. No. 320/2021: Gauri Maulekhi Vs. Union of India & Ors, poultry farms handling above 5,000 birds at single location shall also obtain consent to establish (CTE) and consent for operate (CTO) under the Water Act, 1974 & Air Act 1981 from State Pollution Control Board/Pollution Control Committee w.e.f. 01.01.2023***
- *The Poultry Farms are categorized under **"Green" Category,** therefore validity of consent will be 15 yrs.*
- *Animal Husbandry Department of the State/Districts to assist the poultry farms for implementation of Guidelines."*

A Copy of the CPCB guidelines has been annexed herewith as **ANNEXURE R-3.**

3. **<u>CONSTITUTION OF JOINT COMMITTEE AND INSPECTION DATED 02.09.2025</u>**

4. That upon receipt of repeated complaints from villagers of Rahimabad regarding foul odour, flies, unhygienic conditions, and health hazards caused by the poultry farm, a Joint Committee was constituted. The Joint Committee comprised:

- Chief Veterinary Officer, Unnao
- Deputy Veterinary Officer, Safipur, Unnao
- Authorized Officer from Regional Office, UPPCB, Unnao

5. That the committee conducted a site inspection on 02.09.2025. That during the inspection dated 02.09.2025, the following observations were recorded:

(a) The poultry layer farm was located at a distance of merely 180 meters from the residential settlement of Village Rahimabad.

(b) No proper scientific measures were found for management of solid waste generated from the poultry farm.

(c) Animal litter was being stored in the open, resulting in foul odour and breeding of flies, which was a primary cause of complaint by villagers.

(d) No adequate sanitary measures were in place; the farm was found in an unsanitary condition, creating unhygienic surroundings.

(e) No odour control measures were found to have been established.

(f) The farm was operating without any valid CTE/CTO under Section 21 of the Air Act.

A Copy of the inspection report has been annexed herewith as **ANNEXURE R-4**.

4. <u>ISSUANCE OF SHOW CAUSE NOTICE</u>

6. That based on the findings of the Joint Committee inspection dated 02.09.2025, a Show Cause Notice dated 14.10.2025 was issued to the

Appellant under Section 31A of the Air Act, calling upon him to explain why action including closure should not be taken.

A Copy of the Show Cause Notice dated 14.10.2025 is annexed herewith as **ANNEXURE R-5**.

7. That the Appellant failed to submit any reply to the Show Cause Notice dated 14.10.2025 within the stipulated period.

5. INSPECTION DATED 24.10.2025

8. That subsequent to issuance of Show Cause Notice, another inspection was carried out on 24.10.2025 by officials of UPPCB, Regional Office, Unnao. During inspection, the farm was found operational. One Md. Asif, Farm Supervisor, was present.

9. The following violations were observed:

(a) One cemented tank allegedly meant for disposal of dead birds was found waterlogged and non-functional. Dead birds were being disposed of by open burning.

(b) No emission control measures were in place to mitigate foul odour and smoke from open burning.

(c) The farm was in unsanitary condition causing foul odour and flies.

(d) Animal litter was stored in open areas, aggravating odour and fly nuisance.

(e) The foul odour and fly breeding caused significant public nuisance.

(f) Local residents gathered outside the farm and raised slogans demanding its closure, demonstrating intense public resentment.

(g) The farm was located only 180 meters from the residential settlement.

(h) Three DG sets of 10 KVA, 30 KVA and 40 KVA were installed. Chimneys were not compliant with emission norms.

(i) No odour control or scientific solid waste management systems were found, contrary to the Environmental Guidelines 2022 for Poultry Farms issued by the CPCB.

A Copy of the inspection report dated 24.10.2025 is annexed herewith as **ANNEXURE R-6.**

6. CLOSURE ORDER

10. That in view of persistent non-compliance and grave environmental violations, a closure order dated 29.10.2025 was issued against the poultry farm under Section 31A of the Air Act.

7. PUBLIC NUISANCE AND PROCEEDINGS UNDER BNSS

11. That the farm is a continuing source of public nuisance and repeated complaints were made by villagers to various authorities.

12. That proceedings under Section 152 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 have been initiated before the Ld. SDM, Safipur, Unnao. An order dated 18.10.2025 under Section 153 BNSS has been passed by the Sub-Divisional Magistrate, Lucknow Division, District Unnao, Tehsil Safipur. That vide the said order it has been directed the if the operator of the poultry farm in question fails to obtain the No Objection Certificate (NOC)/Certificate for Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) within 15 days from the UPPCB, then upon expiry of the prescribed period, the Tehsildar, Safipur and the Station House Officer (SHO), Police Station Aasiwan shall take the said poultry farm into their custody and initiate action for closure or relocation of the poultry farm. The Veterinary Officer shall provide the required assistance in this regard.

    A Copy of the order dated 18.10.2025 is annexed herewith as **ANNEXURE R-7.**

8. ACTIONS TAKEN FOR CLOSURE

13. That further Joint Committee was constituted by the Office of the District Magistrate, Unnao vide Letter dt. 30.10.2025 for ensuring compliance with the closure order.

A Copy of the letter dt. 30.10.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-8.**

14. That the first inspection conducted by the Joint Committee was conducted on 04.11.2025, wherein it was observed as under:

- Poultry rearing activities found operational in **two sheds**.
- Presence of live birds prevented sealing of both sheds at that stage.
- One **DG set (40 KVA capacity) was** sealed.

That the Electricity Department disconnected the power supply to the poultry farm premises.

A Copy of the inspection report dt. 04.11.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-9.**

15. That the second inspection was conducted by the Joint Committee on 19.11.2025, wherein it was observed as under:

- One shed along with associated facilities sealed.
- Remaining shed could not be sealed due to presence of birds.

A Copy of the inspection report dt. 19.11.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-10.**

16. That a meeting was held with the Sub-Divisional Magistrate, Safipur, Unnao on 18.12.2025, wherein it was discussed that the remaining shed had been completely vacated, and it was confirmed that the shed was ready for sealing.

A Copy of the MOM dt. 18.12.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-11.**

17. That on 18.12.2025, the final compliance action was taken and the remaining shed was sealed and the complete closure of the poultry farm was ensured in compliance with the closure order dated 29.10.2025. That subsequently a compliance report dt. 19.12.2025 was submitted to the Chief Environmental Officer (Circle-5), U.P. Pollution Control Board, Lucknow, along with photographic evidence of sealing action.

A Copy of the report dt. 19.12.2025 and photographs have been annexed herewith as **ANNEXURE R-12.**

18. Therefore, it is submitted that the poultry farm has:

- Operated without mandatory statutory consent;
- Violated CPCB Environmental Guidelines 2022;
- Caused persistent public nuisance;
- Ignored Show Cause Notice;
- Continued non-compliance despite inspection findings.

19. Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

125

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

APPEAL NO. 77 OF 2025

<u>IN THE MATTER OF</u>:

ATTAN MIYA ....**APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS. ...**RESPONDENT(s)**

I, Shivendra Kumar Verma aged about 38 years S/o Shri Kanhaiya Lal, presently posted as SDM Safipur do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present response.

2. That I state that the contents of the response have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge, and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at   on this _ day of February, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 2 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

मैं ...शिवेंद्र कुमार वर्मा... को जानता व पहचानता हूँ इन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर / नि0अं0 बनाया है

SHIVAM SINGH Advocate
Reg. No. UP04421/20
C.O.P. No. 204786
Mob.No. 9044638616

शपथ आयुक्त

शपथ पत्र प्रमाणित

शपथ आयुक्त

सर्वेश कुमार
एडवोकेट
रजि0नं0–4635/94
मो0नं0–9451967392

ANNEXURE R-1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UPPCB

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow –226010

Phone: 2720831, 2720828 Fax: 0522 – 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ सं0 H34014 /सी-5/वायु–166 / 2025 दिनांक 29/10/2025

पंजीकृत

सेवा मे,

श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म,
ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन,
जनपद–उन्नाव।

यह कि श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव द्वारा लेयर फार्मिंग के माध्यम से लगभग 28,000 मुर्गियों से अण्डा लगभग 25,000 प्रतिदिन का उत्पादन कार्य करते हुए उक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जिसे वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि राज्य बोर्ड के पत्रांक–एच 33492 / सी–5 / वायु–166 / 2025 दिनांक 14.10.2025 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31'ए' के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था, जिसके कम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 24.10.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय लेयर पोल्ट्री फार्म के प्रतिनिधि के रूप में मो0 असद, सुपरवाइजर उपस्थित थे। निरीक्षण के समय इकाई संचालित पाई गयी। इकाई द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.10.2025 के अनुपालन में अपना उत्तर प्रेषित नही किया गया है।

यह कि निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय लेयर फार्म में मृत मुर्गियों के निस्तारण हेतु एक नग सीमेन्टेड टैंक मुर्गी फार्म परिसर में स्थापित पाया गया। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि मृत मुर्गियों को टैंक में डालकर नमक आदि मिलाकर निस्तारित किया जाता है। वर्तमान मे टैंक मे पानी भर जाने के कारण मृत मुर्गियों को लेयर फार्म परिसर में ही खुले में ओवरहेड सीमेन्टेड टैंक के अन्दर जला दिया जाता है। निरीक्षण के समय खुले मे ओपेन सीमेन्टेड टैंक जमीन के ऊपर स्थापित पाया गया। जिसमें मरी हुयी मुर्गियों को रखा गया था। लेयर फार्म प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि रात में मृत मुर्गियो का जला दिया जायेगा। मृत मुर्गियों को जलाने से उत्पन्न होने वाले दुर्गन्ध एवं धुए आदि के नियन्त्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नही पायी गयीं। निरीक्षण के समय लेयर फार्म के संचालन से जनित सालिड वेस्ट (मुर्गियों की बीट इत्यादि) को पोल्ट्री फार्म के नीचे भण्डारित किया जाता पाया गया, जिससे दुर्गन्ध उत्पन्न हो रही थी। निरीक्षण के समय साफ–सफाई की व्यवस्था उचित नहीं पायी गयी।

AEE II 30/10

यह कि निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय इकाई से दुर्गन्ध/मक्खियों के उत्पन्न होने से मौके पर पब्लिक न्यूसेंस की समस्या व्याप्त पायी गयी। निरीक्षण के समय आस–पास के क्षेत्र के लोग एकत्रित हो गये एवं उनके द्वारा लेयर फार्म को बन्द कराये जाने हेतु नारे बाजी की गयी। मौके पर एकत्रित भीड मे उक्त लेयर फार्म के विरूद्ध अत्यन्त रोष व्याप्त पाया गया। उक्त लेयर पोल्ट्री फार्म इकाई के विरूद्ध आई0जी0आर0एस0 एवं विभिन्न माध्यमो से शिकायते प्राप्त है। उक्त इकाई के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 की धारा–152 (पब्लिक न्यूसेन्स) के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी, तहसील–सफीपुर, उन्नाव के न्यायालय में मुकदमा संख्या टी202510690308948 विचाराधीन है।

यह कि निरीक्षण आख्यानुसार लेयर फार्म इकाई स्थल से लगभग 180 मीटर की दूरी पर ग्राम रहीमाबाद की आबादी स्थित है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जनवरी–2022 में पोल्ट्री फार्म के लिये गाइड लाइन जारी की गयी है। जारी गाइड लाइन के अनुसार पोल्ट्री फार्म की स्थापना आवासीय क्षेत्र से लगभग 500 मी0 की दूरी पर होनी चाहिए। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पोल्ट्री फार्म इकाईयो के सम्बन्ध में जारी Environmental Guidelines for Poultry Farms बिन्दु संख्या–7 में निर्धारित साईटिंग काइटेरिया के अनुरूप लेयर फार्म का स्थल उपयुक्त नही है। निरीक्षण के समय इकाई में 10, 30 एवं 40 के.वी.ए. क्षमता का 03 नग डी0जी0 सेट स्थापित पाये गये। डी0जी0 सेट से जनित फ्लू गैसों के उत्सर्जन हेतु चिमनी मानकों के अनुरूप स्थापित नही पायी गयी है।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी Environmental Guidelines for Poultry Farms के अन्तर्गत निर्धारित Gaseous emission (NH3 & H2S), Odour control Management of Solid wastes (Manure handling, Hatchery waste & Dead Waste disposal) नियन्त्रण/निस्तारित हेतु कोई वैज्ञानिक व्यवस्था लेयर फार्म में स्थापित नही पायी गयी। उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव के पत्र संख्या–645/एन0ओ0सी0–1991/2025 दिनांक 29.10.2025 द्वारा उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31'ए' के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.10.2025 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31'ए' के अन्तर्गत निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.10.2025 की पुष्टि करते हुए निम्नवत् बन्दी आदेश जारी किया जाता है–

1. श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव को निर्देशित किया जाता है कि बन्दी आदेश की प्राप्ति उपरान्त जीवित पक्षियों को निकालना सुनिश्चित करें।
2. श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाये।
1. सक्षम अधिकारी से यह अपेक्षा की जाये श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव को मिलने वाली बिजली, पानी एवं अन्य सुविधाओं को तत्काल बन्द किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

Digitally signed by
PRAVEEN KUMAR
Date: 29-10-2025
18:30:36

प्रभारी, वृत्त–6

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, उन्नाव को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया संबंधित अधीनस्थ को श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव की बन्दी सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया संबंधित अधीनस्थ को श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन,

3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव की विद्युत आपूर्ति को विच्छेदित करना सुनिश्चित करें।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव की जल आपूर्ति को विच्छेदित करना सुनिश्चित करें।
5. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि कोई अनुज्ञा प्रदान की गयी हो तो उसे निरस्त करते हुए श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव से जीवित पक्षियों को तत्काल उक्त परिसर से बाहर निकलवाकर बन्दी आदेश सुनिश्चित कराये तथा अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभारी, वृत्त–5

कार्यालय जिलाधिकारी, उन्नाव

संख्या–1200/Appeal No.77/2025/NGT/2025-26 दिनांक–24 फरवरी, 2026

महत्वपूर्ण/
मा0एन0जी0टी0 प्रकरण

उपजिलाधिकारी,
सफीपुर, उन्नाव।

विषयः–**Appeal No. 77/2025, Attan Miya Vs State of Uttar Pradesh Before The National Green Tribunal Principal Bench, New Delhi.**

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में उ0प्र0 सरकार की अधिवक्ता श्रीमती प्रियंका स्वामी के ई–मेल दिनांक 17.12.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि मै0 बर्लिंगटन लेयर फार्म द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Appeal No. 77/2025 (I.A. No. 811/2025 & I.A. No. 812/2025) Attan Miya vs State of Uttar Pradesh & Ors दायर में पारित आदेश दिनांक 17.12.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली पारित आदेश दिनांक 17.12.2025 के अनुपालन में उ0प्र0 सरकार की काउन्सिल द्वारा प्रतिउत्तर दाखित करने हेतु पत्र अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन उक्त अपीलीय प्रकरण में अधोहस्ताक्षरी को भी प्रतिवादी सं0–2 बनाया गया है। जिसकी आगामी सुनवाई दिनांक 27.02.2026 नियत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन न्याय अनुभाग–3 के पत्र दिनांक 26.09.2024 (छायाप्रति संलग्न) से नामित उ0प्र0 सरकार के पैनल अधिवक्ता श्रीमती प्रियंका स्वामी अथवा श्री भवर पाल सिंह जादौन से सम्पर्क कर उक्त आगामी सुनवाई से पूर्व वांछित सूचनाओं/प्रपत्रों सहित अधोहस्ताक्षरी की ओर से भी प्रति शपथ पत्र दाखिल कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

(गौरांग राठी)
जिलाधिकारी,
उन्नाव

Scanned with OKEN Scanner

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE GOVT. OF INDIA

Speed Post

CPCB/IPC-V/NGT/Poultry/2022 Dated: 10.01.2022

To

The Member Secretary
All SPCBs/PCCs
(List enclosed)

Sub: Environmental Guidelines for poultry farms in light of Hon'ble NGT order dated 10.12.2021 in the matter of O.A. No. 320/2021 of Gauri Maulekhi Vs. Union of India &Ors.

Sir,

Kindly refer to Environmental Guidelines for poultry farms issued by CPCB vide letter dated 17.08.2021 in light of Hon'ble NGT order 16.09.2020 in the matter of O.A. No. 681 of 2017 (Gauri Maulekhi Vs. Union of India &Ors).

Further Hon'ble NGT vide its order dated 10.12.2021 in the matter of O.A. No. 320/2021 (Gauri Maulekhi Vs. Union of India & Ors) has directed to make these guidelines applicable for poultry farms having birds above 5000. Accordingly a copy of Environmental Guidelines is attached in compliance of Hon'ble NGT Order for implementation.

These Guidelines are also available on CPCB website at the following link:

https://cpcb.nic.in/openpdffile.php?id=TGF0ZXN0RmlsZS8zNDFfMTY0MTgwNzg1Nl9tZWRpYXBob3RvMjg2MjgucGRm

This is issued with the approval of Competent Authority.

Yours faithfully

(S.K. Gupta)
AD & Div. Head IPC-V

Encl.: as above

Copy to:

1	PS to CCB	: for information of CCB, please.
2	PS to MS	: for information of MS, please.
3	The Regional Directorates Central Pollution Control Board, (List enclosed)	; for information & follow-up, please.

(S.K. Gupta)

Environmental Guidelines for Poultry Farms

Central Pollution Control Board
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India)
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar
Delhi-110032

(January 2022)

CONTENT

Particulars		Page no
1.	Background	03
2.	Poultry farming	03
3.	Poultry Farming Process	04
	3.1 Breeder Farms	05
	3.2 Hatchery Farm	05
	3.3 Layer (Egg Production)	05
	3.4 Broiler 3.4.1 Deep Litter System 3.4.2 Cage System	06
4.	Classification of poultry farms	06
5.	Environmental issues & Current practices to address the environmental issues in Poultry Farms	07
	(i) Gaseous emission (NH3 & H2S) and Feed Mill Dust (ii) Solid Waste (iii) Waste water generation from cleaning operation (iv) Other issues	07 07 08 08
6	Environmental Guidelines for Poultry Farms	08
	6.1 Gaseous emission (NH_3 & H_2S) and Feed Mill Dust	08
	(i) Minimization of odour/gaseous pollution *(ii)* Dust from Feed Mills	08 09
	6.2 Management of solid wastes (Solid Wastes contains Manure/litter, Hatchery Debris and Dead Birds)	09
	(i) Manure handling and disposal (ii) Hatchery waste (iii) Dead bird disposal	09 10 10
	6.3 Waste water Management	11
	6.4 Other Issues	12
7	Siting criteria	12
8	Regulatory/ Monitoring Mechanism for Poultry Farms	13

1.0 Background

Guidelines for Poultry farms were developed in the year 2015, which was applicable to poultry farms handling above 1.0 lac birds. As per CPCB classification of industrial sectors, 'Poultry, Hatchery and Piggery' are categorized into 'Green'.

In the matter of O.A. No. 681 of 2017, Hon'ble NGT, passed the following order on 16th September, 2020:

> '...'*Accordingly we allow this application and direct CPCB to revisit the guidelines for categorizing the poultry farms as Green category and exempting their regulation under Air, Water & EP Act. CPCB may issue fresh appropriate orders within three months and in if no further order is issued, all the State PCBs/PCCs will require enforcement of consent mechanism under the above acts after 01.01.2021 for all Poultry Farms above 5000 birds in the same manner as is being done for farms having more than one lac birds. Till then, even without such consent mechanism, the state PCBs/PCCs may strictly enforce the environmental norms and take appropriate remedial action against the any violation of water, air and soil standards statutorily laid down."*

Subsequent to the aforesaid order, Hon'ble NGT (PB) in the matter of O.A. No. 320/2021 (Gauri Maulekhi Vs. Union of India &Ors) passed the following order on 10.12.2021

> *"...Accordingly, we direct that while the impugned guidelines be immediately enforced, all poultry farms above 5000 birds will also be covered by the said guidelines latest from 1.1.2023. The siting criteria should apply to all consents/renewals hereafter for the above size of the poultry farms. CPCB may issue revised guidelines to all the State PCBs/PCCs in terms of the above order within one month."*

2.0 Poultry farming

Poultry farms refers to breeding, hatcheries, layer and broiler farms. Poultry farming is the rearing of domesticated birds such as chickens, turkeys, ducks, goose etc. for the purpose of farming meat or eggs for food. Chickens raised for eggs are usually called laying hens or layers while chickens raised for meat are often called broilers. Chicken are most numerous and popular domesticated poultry species, while other species, e.g. duck, goose form a very small proportion of activities in comparison. Poultry farming in India has witnessed a spectacular growth and transformed itself into a vibrant agri- industry. The leading states having poultry farms are Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, West Bengal followed by Maharashtra, Karnataka, Assam, Haryana, Kerala and Odisha.

As per the 20thlivestock census carried out by Department of Animal Husbandry & Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying, the state-wise number of poultries (birds) are given below:

Sl.No.	States/UTs	Nos of Poultries (birds) in millions
1	Andhra Pradesh	107.863
2	Arunachal Pradesh	1.599
3	Assam	46.712
4	Bihar State	16.525
5	Chhattisgarh	18.711
6	Goa State	0.349
7	Gujarat	21.773
8	Haryana State	46.24
9	Himachal Pradesh	1.341
10	Jammu & Kashmir	7.366
11	Jharkhand	24.832
12	Karnataka State	59.494
13	Kerala State	29.771
14	Madhya Pradesh	16.659
15	Maharashtra	74.297
16	Manipur	5.897
17	Meghalaya	5.379
18	Mizoram	2.047
19	Nagaland	2.838
20	Odisha	27.439
21	Punjab	17.649
22	Rajasthan	14.622
23	Sikkim State	0.580
24	Tamil Nadu	120.781
25	Telangana State	79.999
26	Tripura	4.168
27	Uttar Pradesh	12.515
28	Uttarakhand	5.018
29	West Bengal	77.322
30	Andaman & Nicobar Islands	1.289
31	Chandigarh	0.048
32	Dadra Nagar Haveli	0.089
33	Daman & Diu	0.018
34	Delhi	0.043
35	Lakshadweep	0.226
36	Pondicherry	0.236
Total		**851.809**

3.0 Poultry Farming Process

The poultry farming consist of the following unit operations.

- Breeder Farms (Breeding)

- Hatchery Farm (Hatching)
- Layer farm &
- Broilers

3.1 Breeder Farms(Breeding)

Breeder farms specialize in the production of fertilized eggs for either broiler or egg production. Specific ratios of male/female breeders are used to ensure the fertility of hatching eggs. In India both layer and broiler breeders are predominantly housed in cages and the fertile eggs are obtained by artificial insemination. The eggs are collected daily, assessed for quality and stored in plastic / pulp trays in a controlled environment before being transferred to the hatchery for the production of commercial chicks. At the end of their productive phase, breeders are removed and sold for meat processing or byproducts.

3.2 Hatchery farms (Hatching)

The eggs collected from Breeder farms are hatched at special hatcheries. These are centralized facilities and receive fertilized eggs from its own or several other breeder farms. The eggs are stored for a period of 4 to 10 days before being placed in incubators that control temperature and humidity to stimulate embryonic development. Hatching typically takes 21 days. The chicks are vaccinated, graded for uniform quality and dispatched to destinations for further rearing. The day-old broiler chicks are delivered to broiler farms straight run (un-sexed). Chicks from egg laying stock are gender sorted and the female chicks alone are delivered for egg production while male chicks are killed and disposed-off.

3.3 Layer (Egg production)

In the layer farms, egg laying hens are reared for egg production. Typical egg laying cycle starts around 18 weeks age of the bird and continues upto 72–75 weeks of age and thereafter diminished gradually to become uneconomical. Birds less than six months of age are termed as pullets and are raised either on floor or on the cages little away from adult farms located in the same or at different premises. The birds are kept and raised in three different houses based on its age i.e. a) Chick house: 0 to 45 days, b) Grower House: 45 days to 18 weeks and c) Layer House: 18 weeks to 72 to 75 weeks. The birds start laying eggs from 18 weeks onwards.

There are two phases of growing period i.e. brooding and growing phase. The brooding phase extends from day one to three to four weeks depending upon the season of rearing. During this period, the birds are provided extra warmth in an enclosed quarter by means of gas brooders, electric hovers, infra-red bulbs or coal brooders. After this initial period, the birds are moved to growing establishments which are typically open houses. The brooding and growing houses may be deep litter type or cage type. After the completion of the growing phase, the birds are moved to laying cages where they remain there till the end of their laying cycle (72 to 75 weeks of age).

3.4 Broiler (Meat Production)

Broiler birds are raised especially for meat production for 40 to 45 days or up to weight gain of 2.5 to 3.0 Kg. Most of broiler birds gain slaughter weight (2.5 kg to 3.0 kg) within 40 to 45 days. Broilers are most commonly reared in deep litter shed, where feed and water is given by hanging feeder and watering. After cleaning of the deep litter shed, rice husk, saw dust, groundnut hulls, wood shavings, and dried leaves bed of 3" thickness is prepared by scratching. Chicks are moved in the shed freely. Depending on the weight of the bird, the birds are sold for slaughtering from 40^{th} to 45^{th}days.

The rearing of birds is of two types:

3.4.1 Deep Litter System

Birds are kept on litter floor which is covered with different kinds of agro materials like rice husk, saw dust, groundnut hulls, wood shavings and dried leaves etc. depending on their availability. Initially, the depth of the agro material is approx 5 to 6 cm and then topped up by another 5 to 6 cm as the birds grow in size. The birds may remain on this system upto six weeks in case of broilers from where they go for slaughtering. In case of layer, they remain upto 18 weeks of age or may be shifted to cages. The majority of broilers are housed in deep litter sheds. Feed and water are provided manually in small farms and with automatic equipment in large farms.

3.4.2 Cage System

This is widely practiced system for housing commercial layers, breeder layers and of late even broiler breeders. The birds are generally housed in cages erected on raised platforms in open sheds. These cages are arranged in rows. Three or four birds are accommodated in each cage with provision of drinking water and feeding. The water is provided through a nipple fitted to a closed pipe running at head height of the bird. Feed is placed in a trough attached to the front of the cage and distributed often manually or by automation. The droppings of birds slip through perforations instantaneously and are collected on the floor.

4.0 Classification of Poultry Farms

Backyard poultry is typically owned by small and marginal farmer and comprises of few birds, largely for self-consumption and very small quantities get commercially sold. The poultry farming practiced by the rural and tribal farmers under free range or backyard or semi-intensive systems is usually referred to as rural poultry farming.

Based on the number of handling of birds, Poultry farms may be classified into three categories.

- Small (5,000-25,000 bird)
- Medium (above 25,000-1,00,000 birds).
- Large (above 1,00,000 birds)

The poultry farms under small category are in un-organized sector run by economically weaker farmers and are of rural background.

5.0 Environmental issues & Current practices to address the environmental issues in Poultry Farms

Environmental nuisance arising from poultry farms is due to the generation of NH_3 & H_2S gases causing odor, dust from feed mill, storage & management of Solid Waste (Manure, Dead Birds and Hatchery Waste) also causing odour & water from cleaning operations. Breeding of flies and rodents etc. are the other issues in poultry farms.

(i) Gaseous emission (NH_3 & H_2S) and Feed Mill Dust

- The gaseous emission viz Ammonia (NH_3) and Hydrogen Sulphide (H_2S) are emanated from the excreta generated from the birds causes odour. The odour is produced due to anaerobic conditions in the litter occurs due to its storage at one place for longer period. The general practice followed by poultry farms to control odour is by maintaining good ventilation and free flow of air.

- Dust is generated from the feed mill operation during mixing and grinding of various ingredients of feed. The feed mill operations are typically located inside the mill buildings. Dust extraction systems are generally used to collect the dust and to improve the shop floor environment.

(ii) Solid Waste

Sources of solid waste are (i) Poultry droppings/Manure/Litter (ii) Dead Birds & (iii) Hatchery Waste.

- In case of cage system, excreta are collected just below the bird cages directly on ground, made of stone slabs or concrete or impermeable compacted clay. Litter is collected and kept dry by maintaining good ventilation and free air flow to undergo aerobic composting. The manure is removed once in four to six months & sold to the farmers. In deep litter system, excreta are collected in bed made up of agro residue (rice husk, saw dust, groundnut hulls, wood shavings, and dried leaves) itself. Once in a day or two days the bed is scratched for mixing of litter. Once the chicken is sold for meat, the bed (rice husk, saw dust, groundnut hulls, wood shavings, and dried leaves) is removed once the cycle of 42 to 45 days gets over along with the excreta and sold as

manure. The shed is washed and lime is applied as disinfectant and allows the area for quarantine period.

- Death of the birds in poultry farms is a common phenomenon and their disposal is an issue. Dead birds cause nuisance, odor and aesthetic problems like disease, insect, rodent and predator problems if the birds are not disposed immediately. Dead birds are either burned at relatively high temperatures using different fuels which causing atmospheric pollution and also odour nuisance or buried in the burial pit in the premises.

- During hatching operation, large quantity of solid waste comprising of egg shells, unhatched eggs, dead embryos and chickens and a viscous liquid from eggs etc is generated. This waste is disposed through open burning or through rendering plant.

(iii) Waste water generation from cleaning operation

- Water in poultry farms is used for drinking of birds, sprinkling during the summer and for cleaning sheds and equipment in between batch replacement.

- As such there is no process waste water generation from the poultry farming. However, wastewater is generated during cleaning operations. The waste water is collected in holding tank and utilized in gardening in the premises.

(iv) Other issues:

- Breeding of flies and rodents, etc. are the other issues in poultry farms

6.0 Environmental Guidelines for Poultry Farms farms:

Following are the revised guidelines addressing environmental issues of Poultry Farms.

6.1 Gaseous emission (NH_3 & H_2S) and Feed Mill Dust

(i) *Minimization of odour/gaseous pollution*

- Proper ventilation and free flow of air over manure collection points to keep it dry shall be ensured.
- Manure should be protected from Run-off water and from unwanted pests/insects.
- Well-designed storage facilities should be provided to contain manure /litter.
- Carcasses of dead birds shall be promptly collected on regular basis and disposed appropriately without damaging the environment as per the prescribed methods under section 6.2 (iii) of the guidelines.

(ii) Dust from Feed Mills

- Feed mill and Go-down should be located on a well elevated ground preferably near the entrance of the farm and isolated from other poultry sheds.
- Dust collector system should be installed to control emissions from mixing and grinding section of the feed mill.
- Workers in the feed mill shall be provided with dust masks to protect them from dust.
- Provision for vehicle tyre dip shall be made at the entrance to remove impurities/dust carried by vehicle tyres;
- Floor of the feed mill and Go-down shall be concrete and raised above the ground level by a minimum of 2 feet.

6.2 Management of solid wastes (Solid Wastes contains Manure/litter, Hatchery Debris and Dead Birds)

(i) Manure handling and disposal

- Proper ventilation and free flow of air over manure collection points to keep it dry (by blowing dry air over it or by conveying ventilation air through the manure pit) shall be ensured to prevent obnoxious odour in the area.
- Poultry housing shall be ventilated allowing sufficient supply of fresh air to remove humidity, dissipate heat and prevent build-up of gases such as methane, carbon dioxide, ammonia, etc.
- Excreta shall be scratched at least once in two days as needed for mixing of litter and to keep bedding material (rice husk, saw dust, wood shavings etc.) dry in case of deep litter houses the waste material. This waste shall be utilised for composting after completion of the cycle.
- Manure collected under cages on high raised platforms shall be stored for further processing and utilized by using following options:

Sl. No.	Poultry Farms	Methods for Disposal/Utilization of manure
1.	Small Poultry Farms	• Composting
2.	Medium & Large Poultry Farms	• Composting or Biogas production for disposal/utilization of manure/litter • Combination of any of the methods for disposal/utilization of manure/litter
3.	Poultry Farms in Cluster	• Common facilities for Biogas production or Composting or their combination

- Land application of manure to the nutritional requirements of soil and crop shall be balanced.
- The litter / manure storage facilities shall be minimum 2 m above the water table and of adequate size based on type and number of birds handled. Its base should be constructed with stone slabs or concrete or impermeable compacted clay.

- Manure shall be protected from run off water and cover it to avoid dust and odours in storage pits. The dry manure dump shall be covered with permanent roof or with plastic / similar material to prevent air emissions and the precipitation falling on it.
- Mortalities on farm by proper animal care and disease prevention program shall be reduced.
- Proper facilities (Burial Pit/Composting/Incineration) shall be provided for Collection, storage, transport and disposal of dead birds
- Domestic hazardous wastes (vaccines, vails, medicines, syringes, etc.) shall be disposed as per provisions of "Solid Waste Management Rules, 2016".

Composting *of Manure*:

- Proper mixing the waste with a carbon rich material (e.g., paddy straw / husk, wood shavings) should be done in the pits. Carbon to nitrogen ratios of 20-25:1 is usually recommended. Pure manure can also be composted following the procedure and monitoring all parameters. The composting facilities may be designed through expert institutions in the field as per the size of poultry farms.
- Periodic stirring of compost material should be done for its proper mixing.
- Moisture levels should be maintained between 35 to 50%.
- Temperature monitoring should be done to determine composting conditions.

(ii) Hatchery Waste

- Efforts shall be made in converting the shells to animal feed to supply as a source of calcium, especially for poultry feeds.
- Extrusion with soya bean meal can be used to make a shell/hatchery meal.
- Un-hatched eggs shall be disposed of by composting or rendering.

(iii) Dead Birds Disposal

The dead birds arising from day to day farm activity shall be separated from other live birds promptly and stored in closed containers and disposed off within 24 hours by following any of the disposal methods.

A) Burial Method:

- The dead birds arising from day to day farm activity should be separated from other live birds promptly and should be stored in closed containers \ disposed off within 24 hours
- The dead bird burial pit shall be of minimum 3 to 4 m in depth and 0.8 to 1.2 m diameter and this size may vary as per the capacity of poultry farm and shall be located above minimum 3 m from the ground water table.

- The dead bird burial pit shall be provided with a vermin/fly proof cover made up of wooden / metal / concrete having a central operable lid of proper size for day to day dropping of carcasses.
- Carcasses shall be covered by a thin layer of soil (at least 40 cm deep) along with calcium hydroxide.
- When the pit is full, a compacted soil cover of 0.5 m shall be provided with the top of the covered soil well above the ground level.
- The distance between any two burial pits should not be less than 1 m.

B) Composting

- The composting facility shall not be located within 300 m from the nearest dwelling and 100 m from any well or water course.
- The capacity of the composting facility shall be sufficient to handle the average mortalities on the farm.
- The roof of the composting facility shall be permanent with concrete bottom.
- The composting facility shall be secured with link mesh all around raised to a height of 1.5 m above the ground level to avoid the predation by straw dogs etc.
- A proper mixture of smaller and larger particle sizes to obtain an optimum air exchange within the mixture and build-up of temperature.
- Moisture content of the composting pile shall be approximately 60%. More than this may result in odour problems and less than this will reduce the efficiency of the composting process.
- Carbon and nitrogen are vital nutrients for the growth and reproduction of bacteria and fungi. The carbon-to-nitrogen ratio shall be in the range of 20:1 and 25:1 for proper composting. This is obtained by carefully balancing the dead bird and carbon sources.
- The optimum temperature for composting is 54 to 66°C which pasteurizes the compost. If temperature falls below 49°C after a week or so, the material should be moved to the secondary stage unit. To facilitate the easy transfer of the first stage material to the secondary stage, the proper designing of the primary stage (first stage) facility is desirable as illustrated in figure 5.5. Failure to do so will result into poor compost. The temperature in the secondary stage unit will begin to raise as beneficial bacterial activity begins and will peak in 5 to 10 days.

6.3 Waste water Management

- The waste water generated from the cleaning operations (after each batch removal) shall be collected in appropriate holding tank and put to use in the green belt. Efforts may be made for dry cleaning of the sheds with use of disinfectant so as to avoid use of water.

- Water use and spills from drinking devices shall be reduced by preventing overflow or leakages and using calibrated, well-maintained self-watering devices;
- Improve drainage, reduce standing water and water ditches to control mosquitoes and flies
- Use of pressure pumps, hot water or steam in cleaning activities instead of cold water and plain water scrubs may be encouraged to improve sanitation and reduce the quantities of wash water.

6.4 Other issues

- *Control of Flies*: Proper treatment and disposal of manure, ventilation of sheds, control of temperature, good sanitation, swift repairs of leaks, avoidance of feed spills, prompt removal of broken eggs and dead birds shall be ensured for control of flies in the poultry farms. The farm should have provisions of wire nettings, traps, fly-repellents, insecticides etc.
- *Control of Rodents*: Methods for the control of rodents may include: i) Exclusion ii) Trapping Glue boards iii) Tracking powder iv) rodent proof doors and windows to eliminate rodents/pest infestation.
- As per Bureau of Indian Standards 1374: 2007, on poultry feed specifies that the use of antibiotic growth promoters is not recommended in poultry feed, hence use of antibiotics should not be mixed with feed or administered for non-therapeutic purposes without prescription for diseased birds. ***Regulation for use of antibiotics shall be regulated as per the advisory/directions issued by Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries and Ministry of Health and the Drug Controller General of India.***

7 Siting Criteria

New Poultry Farms (Set up after issuance of Guidelines) should preferably be established

- 500 m from residential zone in order to avoid nuisance caused due to odour& flies
- 100 m from major water course like River, Lakes, canals and drinking water source like wells, summer storage tanks, in order to avoid contamination due to leakages/spillages, if any.
- 100 m from national Highway (NH) and 50 m from State Highway (SH)in order to avoid nuisance caused due to odour& flies.
- 10-15 m from rural roads/internal roads/village pagdandis
- The Poultry sheds should not be located within 10 m from farm boundary for cross ventilation and odour dispersion

8.0 Regulatory/ Monitoring Mechanism for Poultry Farms

- SPCBs/PCCs shall upload Environmental Guidelines on their website.
- Guidelines shall be applicable to all the category of Poultry Farms.
- Poultry Farms handling birds above 25,000 at single location will have to obtain consent to establish (CTE) and consent for operate (CTO) under the Water Act, 1974 & Air Act 1981 from State Pollution Control Board/Pollution Control Committee.
- As per the directions of Hon'ble NGT dated 10.12.2021 (O.A. No. 320/2021: Gauri Maulekhi Vs. Union of India & Ors, poultry farms handling above 5,000 birds at single location shall also obtain consent to establish (CTE) and consent for operate (CTO) under the Water Act, 1974 & Air Act 1981 from State Pollution Control Board/Pollution Control Committee w.e.f. 01.01.2023
- The Poultry Farms are categorized under "Green" Category, therefore validity of consent will be 15 yrs.
- Animal Husbandry Department of the State/Districts to assist the poultry farms for implementation of Guidelines.

******

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, UNNAO

संदर्भ सं0/Ref.No. 536 /2025 /शिका0-01/व-11 दिनांक/Date- 12/09/2025

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय-श्री अत्तन मियां, द्वारा ग्राम-रहीमाबाद तहसील-सफीपुर थाना आसीवन जनपद-उन्नाव में पोल्ट्री फार्म के संचालन से ग्राम वासियों को हो रही परेशानी के संबंध में शिकायत जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव एवं उपजिलाधिकारी सफीपुर के कार्यालय से इस कार्यालय में दिनांक 01.09.2025 एवं दिनांक 03.09.2025 को प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि अत्तन मियां, द्वारा ग्राम-रहीमाबाद तहसील-सफीपुर थाना आसीवन जनपद-उन्नाव में पोल्ट्री फार्म के संचालन से ग्राम वासियों को हो रही परेशानी के संबंध में शिकायत जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव एवं उपजिलाधिकारी सफीपुर के कार्यालय से इस कार्यालय को प्राप्त शिकायत के संबंध में इस कार्यालय एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उन्नाव के साथ संयुक्त निरीक्षण दिनांक 01.09.2025 को किया गया। निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म एक लेयर फार्मिंग है पोल्ट्री फार्म में लगभग 28000 मुर्गियां पायी गयी उक्त मुर्गियों से लगभग प्रतिदिन 25000 अण्डा उत्पादन होता है। लेयर फार्म से लगभग 180मी0 की दूरी पर ग्राम-रहीमाबाद की आबादी स्थित पायी गयी। लेयर फार्म से जनित वेस्ट (मुर्गियों के बीट) को खुले में भण्डारित किये जाने से दुर्गन्ध उत्पन्न हो रही थी तथा मक्खियां आदि जनित हो रही थी। लेयर फार्म में साफ सफाई की व्यवस्था उचित नही पायी गयी। जिससे आस-पास ग्राम वासियों के स्वास्थ पर विपरीत प्रभाव पडना स्वाभाविक है। मृत मुर्गियों के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित करने से कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। लेयर फार्म से जनित दुर्गन्ध के नियंत्रण तथा जनित सॉलिड वेस्ट मनेजमेन्ट हेतु कोई पर्याप्त व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। निरीक्षण के समय पोल्ट्री लेयर फॉर्मिंग से दुर्गन्ध/मक्खीयों के दृष्टिगत मौके पर पब्लिक न्यूसेन्स की समस्या पायी गयी। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनवरी 2022 में पोल्ट्री फार्म के लिए जारी गाइड लाइन के अनुसार पोल्ट्री फार्म की स्थापना आवासीय क्षेत्र से लगभग 500मी0 की दूरी पर होनी चाहिए उक्त संदर्भित पोल्ट्री फार्म, जारी गाइड लाइन में प्राविधानित माप दण्डों के अनुसार स्थापित नहीं किया गया है।

अतः इस कार्यालय की आख्या मूल रुप से संलग्न कर प्रश्नगत प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
12/09/2025
(शशि विन्दकर)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः-

1. जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उन्नाव को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

12/09/2025
क्षेत्रीय अधिकारी

श्री अत्तन मियां, द्वारा ग्राम–रहीमाबाद तहसील–सफीपुर थाना आसीवन जनपद–उन्नाव में पोल्ट्री फार्म के संचालन से ग्राम वासियों को हो रही परेशानी के संबंध में शिकायत जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव एवं उपजिलाधिकारी सफीपुर के कार्यालय से इस कार्यालय में दिनांक 01.09.2025 एवं दिनांक 03.09.2025 को प्राप्त शिकायत के संबंध में निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक श्री अत्तन मियां, द्वारा ग्राम–रहीमाबाद तहसील–सफीपुर थाना आसीवन जनपद–उन्नाव के विरूद्ध ग्राम–रहीमाबाद ग्रामवासी गोकुल, राजबहादुर, विकम सिंह, राजेन्द्र प्रसाद, आदि द्वारा की गयी शिकायत जो जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के माध्यम से इस कार्यालय दिनांक 01.09.2025 को प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायत के कम में शिकयती मुर्गी फार्म का मुख्य पशुचिकित्साधिकारी एवं डा0 भूपेन्द्र सिंह उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी सफीपुर, उन्नाव के साथ संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण दिनांक 02.09.2025 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1. पोल्ट्री फार्म के विरूद्ध प्राप्त शिकायत में शिकायतकर्ताओं द्वारा उल्लेख किया गया है कि– "ग्राम–रहीमाबाद तहसील–सफीपुर थाना आसीवन जनपद–उन्नाव के निवासी है। हमारे गांव में उन्नाव के निवासी अत्तन मियां ने एक बडा पोल्ट्री फार्म खोला है जिससे हमारे गांव व आस–पास के गांवों की मक्खियों का प्रकोप बहुत बढ गया है जिससे गांव में खाना पीना व सोना मुश्किल हो गया है और दुर्गन्ध विषैली हवा इत्यादि गंदगी के कारण विभिन्न बीमारियां उत्पन्न हो गयी है जिससे गांव में काफी संख्या में लोग जान लेवा बीमारी से ग्रसित हो चुके है।"
2. प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म एक लेयर फार्मिंग है निरीक्षण के समय पोल्ट्री फार्म में लगभग 28000 मुर्गियां पायी गयी उक्त मुर्गियों से लगभग प्रतिदिन 25000 अण्डा उत्पादन होता है।
3. निरीक्षण के समय लेयर फार्म से लगभग 180मी0 की दूरी पर ग्राम–रहीमाबाद की आबादी स्थित पायी गयी। निरीक्षण के समय लेयर फार्म से जनित वेस्ट (मुर्गियों के बीट) को खुले में भण्डारित किये जाने से दुर्गन्ध उत्पन्न हो रही थी तथा मक्खियां आदि जनित हो रही थी। लेयर फार्म में साफ सफाई की व्यवस्था उचित नही पायी गयी। जिससे आस–पास ग्राम वासियों के स्वास्थ पर विपरीत प्रभाव पडना स्वाभाविक है।
4. निरीक्षण के समय मृत मुर्गियों के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित करने से कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। मृत मुर्गियों को खुले में डालने से दुर्गन्ध उत्पन्न हो रही थी। जिससे आस–पास ग्राम वासियों के स्वास्थ पर विपरीत प्रभाव पडना स्वाभाविक है।
5. निरीक्षण के समय लेयर फार्म से जनित दुर्गन्ध के नियंत्रण तथा जनित सॉलिड वेस्ट मनेजमेन्ट हेतु कोई पर्याप्त व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
6. निरीक्षण के समय लेयर फार्म संचालक द्वारा किसी प्रकार के किसी विभाग से लाइसेंस/अनुमति संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे स्पष्ट है की लेयर फार्म की स्थापना से पूर्व या संचालन हेतु किसी भी विभाग से कोई एन0ओ0सी0/लाइसेंस नही प्राप्त किया गया है।
7. निरीक्षण के समय उपस्थित ग्राम वासियों द्वारा गांव के पास स्थापित किये गये लेयर फार्म को बंद कराये जाने एवं ग्राम वासियों के स्वास्थ के ऊपर पड़ रहे विपरीत प्रभाव जैसे दुगर्न्ध, मक्खियां आदि को तत्काल रोक लगाई जाये। निरीक्षण के समय लेयर फार्म के विरूद्ध ग्राम वासियों द्वारा हुर जोर तरीके से संगठित होकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था तथा पोल्ट्री लेयर फॉर्मिंग से दुर्गन्ध/मक्खीयों के दृष्टिगत मौके पर पब्लिक न्यूसेन्स की समस्या पायी गयी।
8. कुक्कुट नीति–2013 के अन्तर्गत निर्धारित पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म की स्थापना हेतु स्थल मापदण्डों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनवरी 2022 में पोल्ट्री फार्म के लिए गाइड लाइन जारी की गयी है। जारी गाइड लाइन के अनुसार पोल्ट्री फार्म की स्थापना आवासीय क्षेत्र से लगभग 500मी0 की दूरी पर होनी चाहिए उक्त संदर्भित पोल्ट्री फार्म, जारी गाइड लाइन एवं कुक्कट नीति में प्राविधानित माप दण्डों के अनुसार स्थापित नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार लेयर फार्म के समीप आवादी होने के कारण लेयर फार्म से जनित दुर्गन्ध एवं मक्खियों से ग्रम वासियों पर पडने वाले प्रभाव को दृष्टिगत रखते करते हुए लेयर फार्म के विरूद्ध भारतीय नागरिक दण्ड संहिता की धारा 152 (पब्लिक न्यूसेंस) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के साथ–साथ कुक्कट नीति–2013 के प्रावधानो के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

11/09/2025	11/09/25	11/9/25
(वीरेन्द्र कुमार)	डा0 भूपेन्द्र सिंह	डा0 महावीर सिंह
अवर अभियंता	उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी

E:\UUPPCB\Complaint\General\General Shikayat Running.docx

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सादर प्रस्तुत।

AEE/R.O. SITAPUR

C/25122/2025-CIRS-UPPCB

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow -226010

Phone: 2720831, 2720828 Fax: 0522 – 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ सं0 133492 /सी-5/ वायु-166/2025 दिनांक 14/10/25

पंजीकृत

सेवा में,

श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म,
ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन,
जनपद–उन्नाव। मो. नं. 7054519715

यह कि श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव द्वारा लेयर फार्मिंग के माध्यम से लगभग 28,000 मुर्गियों से अण्डा लगभग 25,000 प्रतिदिन का उत्पादन कार्य करते हुए उक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(के) के अन्तर्गत एक इकाई है।

यह कि पोल्ट्री फार्म के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के क्रम में पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, एवं उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, सफीपुर, उन्नाव के साथ संयुक्त रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 02.09.2025 को किया गया।

यह कि निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय लेयर फार्म से लगभग 180 मी0 की दूरी पर ग्राम–रहीमाबाद की आबादी स्थित पायी गयी। निरीक्षण के समय लेयर फार्म से जनित वेस्ट (मुर्गियों के बीट) को खुले में भण्डारित किये जाने से दुर्गन्ध उत्पन्न हो रही थी तथा मख्खियां आदि जनित हो रही थी। लेयर फार्म में साफ सफाई की व्यवस्था उचित नही पायी गयी, जिससे आस–पास ग्राम वासियों के स्वास्थ पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। निरीक्षण के समय लेयर फार्म से जनित दुर्गन्ध के नियंत्रण तथा जनित सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेन्ट हेतु कोई पर्याप्त व्यवस्था स्थापित नही पायी गयी।

यह कि निरीक्षण के समय लेयर फार्म संचालक द्वारा किसी विभाग से लाइसेन्स/अनुमति संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नही कराया गया, जिससे स्पष्ट है कि लेयर फार्म की स्थापना से पूर्व या संचालन हेतु किसी भी विभाग से कोई एन.ओ.सी./लाइसेन्स नही प्राप्त किया गया है। कुक्कुट नीति–2013 के अन्तर्गत निर्धारित पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म की स्थापना हेतु स्थल मापदण्डो को पूर्ण नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जनवरी 2022 में पोल्ट्री फार्म के लिये गाइड जारी की गयी है। जारी गाइड लाइन के अनुसार पोल्ट्री फार्म की स्थापना आवासीय क्षेत्र से लगभग 500 मी0 की दूरी पर होनी चाहिए। उक्त संदर्भित पोल्ट्री फार्म द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन एवं कुक्कुट नीति में प्राविधानित मापदण्डों के अनुसार स्थापित नही किया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव के पत्र संख्या–536/2025/सा0–01/वी–II दिनांक 12.09.2025 द्वारा उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31'ए' के अन्तर्गत निम्नवत् कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है–

1. यह कि क्यों न श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाए।

..2

UPPCB-CRCLOMISC/25122/2025-CIR5-UPPCB

I/308236/20

(2)

2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारी से यह अपेक्षा की जाये श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव में संचालित आटा चक्की, चावल एव तेल उद्योग को मिलने वाली बिजली, पानी एवं अन्य सुविधाओं को तत्काल बन्द कर दिया जाये।

उपरोक्त के संबंध में पूर्ण स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा उपरोक्त वर्णित आदेश/निर्देश की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

Digitally signed by
PRAVEEN KUMAR
Date: 13-10-2025
16:02:23

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त–5)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, उन्नाव।
2. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उन्नाव।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी उद्योग को प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त–5)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, UNNAO

संदर्भ सं0 / Ref.No. 645 / एन0ओ0सी0–1691 / 2025 दिनांक / Date– 29 / 10 / 2025

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः **श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम रहीमाबाद, थाना–आसीवन, तहसील–सफीपुर, जनपद–उन्नाव को बोर्ड मुख्यालय द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा 31'ए' के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.10.2025 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपरोक्त इकाई को राज्य बोर्ड के पत्रांक–एच 33492 / सी–5 / वायु–166 / 2025 दिनांक 14.10.2025 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31 'ए' के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में प्रश्नगत इकाई का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 24.10.2025 को किया गया। निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रश्नगत इकाई को जारी कारण बताओं नोटिस पोल्ट्री फार्म के प्रतिनिधि मो0 असद, सुपरवाइजर, मोबाइल नं0–8707757209 को मौके पर तामीला करा दिया गया है। उक्त कारण बताओ नोटिस का प्रत्तिउत्तर प्रश्नगत लेयर फार्म इकाई द्वारा प्रतिउत्तर इस क्षेत्रीय कार्यालय को अद्यतन तक प्राप्त नहीं है तथा लेयर पोल्ट्री फार्म में बदबू / मक्खियो के नियन्त्रण के लिए वैज्ञानिक निस्तारण की कोई व्यवस्था नही पायी गयी। उक्त लेयर फार्म के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा–152 (पब्लिक न्यूसेन्स) के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी, तहसील–सफीपुर, उन्नाव के न्यायालय में मुकदमा संख्या टी202510690308948 विगत माह में दायर किया गया है। प्रश्नगत इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी Environmental Guidelines for Poultry Farms के अन्तर्गत निर्धारित Gaseous emission (NH_3 & H_2S), Odour control Management of Solid wastes (Manure handling, Hatchery waste & Dead Waste disposal) नियन्त्रण / निस्तारण हेतु कोई वैज्ञानिक व्यवस्था स्थापित / कार्यरत नही है। प्रश्नगत इकाई द्वारा राज्य बोर्ड के कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.10.2025 में दिये गये दिशा निर्देशो का अनुपालन किया जाता नही पाया गया।

अतः निरीक्षण आख्या मूलरूप से संलग्नकर उक्त लेयर पोल्ट्री फार्म को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.10.2025 की पुष्टि सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(शशि विन्दकर)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : बी–18 / 3, आवास कालोनी, उन्नाव–209801, दूरभाष / फैक्सः 0515–2830488, ई–मेल–rounnao@uppcb.in
मुख्यालयः टी0सी0–12वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, दूरभाष : 0522–2720828, 2720681,
फैक्स : 0522–2720764

श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम रहीमाबाद, थाना–आसीवन, तहसील–सफीपुर, जनपद–उन्नाव के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्रांक एच33492/सी–5/वायु–166/2025 दिनांक 14.10.2025 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31 'ए' के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.10.2025 के संबंध में निरीक्षण आख्या।

संदर्भित पोल्ट्री फार्म को राज्य बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस दिनांक 14.10.2025 के अनुपालन में पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक–24.10.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय लेयर पोल्ट्री फार्म के प्रतिनिधि के रूप में मो0 असद, सुपरवाइजर उपस्थित थे। निरीक्षण के समय उक्त लेयर पोल्ट्री फार्म इकाई संचालित पायी गयी। उपस्थित लेयर पोल्ट्री फार्म प्रतिनिधि द्वारा दी गयी सूचना एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों के आधार पर वितृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1. प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म एक लेयर फार्म है। जिसमें मुर्गियों को पालकर अण्डा उत्पादन का कार्य किया जाता है। उक्त लेयर फार्म ग्राम रहीमाबाद, थाना आसीवन, तहसील–सफीपुर, जनपद उन्नाव में स्थापित एवं संचालित है।
2. उक्त लेयर फार्म के विरूद्ध पूर्व में शिकायत जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव एवं उपजिलाधिकारी, तहसील सफीपुर, उन्नाव के कार्यालय से क्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त हुयी थी। प्राप्त शिकायत के कम उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन में शिकायती पोल्ट्री फार्म का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 02.09.2025 को किया गया था। विस्तृत संयुक्त निरीक्षण आख्या कार्यालय के पत्र संख्या 536/2025/सा–01/पट–11 दिनांक 12.09.2025 के माध्यम से शिकायती पोल्ट्री फार्म के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के प्राविधानो के अन्तर्गत पोल्ट्री फार्म के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित की गयी थी। उक्त लेयर फार्म के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच33492/सी–5/वायु–166/2025 दिनांक 14.10.2025 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31 'ए' के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
3. उक्त लेयर फार्म इकाई द्वारा आनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन निवेशमित्र पोर्टल पर दिनांक 04.10.2025 को किया गया था। आनलाइन अनापत्ति आवेदन पत्र के अनुसार उक्त लेयर फार्म मेसर्स बर्लिग्टन लेयर फार्म, गाटा नं0 431 ग्राम रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, जिला–उन्नाव द्वारा 30000 बर्ड पालन एवं 29000 अण्डा/दिन उत्पादन तथा पोल्ट्री फीट 90 एम0टी0/दिन हेतु आवेदन किया गया था। आनलाइन आवेदन पत्र के साथ प्रेषित/आनलाइन अपलोड पार्टनीशिप डीड दिनांक 16.11.2021 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार लेयर फार्म के संचालकगण श्री जमीलुर्रहमान सिद्दीकी पुत्र श्री हाफिजुर्रहमान, श्री फजूर्लरहमान सिद्दीकी पुत्र हाफिजुर्रहमानएवं श्री उबैर्दुहमान पुत्र शफीकुर्रहमान सिद्दीकी है। उक्त स्थापना सहमति आवेदन पत्र को राज्य बोर्ड के ऑनलाइन संदर्भ सं0–251806/UPPCB/Unnao(UPPCBRO)/ CTE/UNNAO/2025 दिनांक 09.10.2025 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।
4. निरीक्षण के समय प्रश्नगत लेयर फार्म इकाई को बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.10. 2025 को इस कार्यालय के पत्र सं0–621/एन0ओ0सी0–1691/2025 दिनांक 14.10.2025 के साथ संलग्न कर निरीक्षण के समय लेयर फार्म पर उपस्थित प्रतिनिधि मो0 असद, सुपरवाइजर, मोबाइल नं0–8707757209 को प्राप्त करते हुए तामीला करा दिया गया है (छायाप्रति संलग्न है)। बोर्ड मुख्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.10. 2025 का प्रतिउत्तर प्रश्नगत लेयर फार्म इकाई द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय को आज दिनांक तक प्राप्त नही है।
5. निरीक्षण के समय लेयर फार्म में मृत मुर्गीयो के निस्तारण हेतु एक नग सीमेन्टेड टैंक मुर्गी फार्म परिसर में स्थापित पाया गया। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि मृत मुर्गियों को टैंक में डालकर नमक आदि मिलाकर निस्तारित किया जाता है। वर्तमान में टैंक में पानी भर जाने के कारण मृत मुर्गियों को लेयर फार्म परिसर में ही खुले में ओवरहेड सीमेन्टेड टैंक के अन्दर जला दिया जाता है। निरीक्षण के समय खुले में ओपेन सीमेन्टेड टैंक जमीन के ऊपर स्थापित पाया गया। जिसमें मरी हुयी मुर्गियों को रखा गया था। लेयर फार्म प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि रात में मृत मुर्गियो का जला दिया जायेगा। मृत मुर्गियों को जलाने से उत्पन्न होने वाले दुर्गन्ध एवं धुए आदि के नियन्त्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नही पायी गयीं।
6. निरीक्षण के समय लेयर फार्म के संचालन से जनित सालिड वेस्ट (मुर्गियों की बीट इत्यादि) को पोल्ट्री फार्म के नीचे भण्डारित किया जाता पाया गया जिससे दुर्गन्ध उत्पन्न हो रही थी। निरीक्षण के समय साफ–सफाई की व्यवस्था

उचित नहीं पायी गयी तथा लेयर फार्म से दुर्गन्ध/मक्खियों के उत्पन्न होने से मौके पर पब्लिक न्यूसेंस की समस्या व्याप्त पायी गयी। निरीक्षण के समय आस–पास के क्षेत्र के लोग एकत्रित हो गये एवं उनके द्वारा लेयर फार्म को बन्द कराये जाने हेतु नारे बाजी की गयी तथा बन्द न कराये जाने की दशा में उनके द्वारा न्यायालय भी जाने को कहा गया। मौके पर एकत्रित भीड में उक्त लेयर फार्म के विरूद्ध अत्यन्त रोष व्याप्त पाया गया। उक्त लेयर पोल्ट्री फार्म इकाई के विरूद्ध आई0जी0आर0एस0 एवं विभिन्न माध्यमो से शिकायते प्राप्त है।

7. उक्त लेयर फार्म के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 की धारा–152 (पब्लिक न्यूसेन्स) के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी, तहसील–सफीपुर, उन्नाव के न्यायालय में मुकदमा संख्या टी202510690308948 विगत माह में दायर किया गया है जो विचाराधीन है।
8. निरीक्षण के समय लेयर फार्म में अण्डा देने वाली मुर्गियां को रखने हेतु 02 नग शेड क्षमता 15000/शेड स्थापित पायी गयी। उपस्थित प्रतिनिधि से पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 22000 अण्डा देने वाली मुर्गिया फार्म में है। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि लेयर फार्म में 30000 लेयर मुर्गियो के रखने की क्षमता है।
9. प्रश्नगत लेयर फार्म इकाई स्थल से लगभग 150 मीटर की दूरी पर ग्राम रहीमाबाद की आबादी स्थित है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पोल्ट्री फार्म इकाईयो के सम्बन्ध में जारी Environmental Guidelines for Poultry Farms बिन्दु संख्या–7 में निर्धारित साईटिंग काइटेरिया के अनुरूप लेयर फार्म का स्थल उपयुक्त नही है।
10. निरीक्षण के समय प्रश्नगत लेयर फार्म में 10, 30 एवं 40 के0वी0ए0 क्षमता का 03 नग डी0जी0 सेट स्थापित है। डी0जी0 सेट जनित फ्लू गैसों के उत्सर्जन हेतु चिमनी मानकों के अनुरूप स्थापित नही पायी गयी है।
11. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी Environmental Guidelines for Poultry Farms के अन्तर्गत निर्धारित Gaseous emission (NH_3 & H_2S), Odour control Management of Solid wastes (Manure handling, Hatchery waste & Dead Waste disposal) नियन्त्रण/निस्तारित हेतु कोई वैज्ञानिक व्यवस्था लेयर फार्म में स्थापित नही पायी गयी।
12. निरीक्षण के समय लेयर फार्म के विभिन्न स्थलों के लिए गये फोटोग्राफ निम्नवत् है–

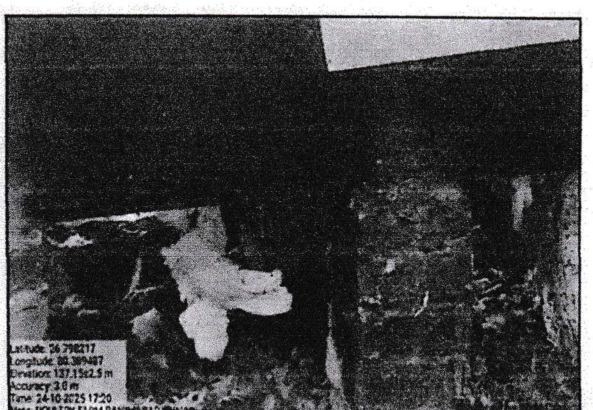

मृत मुर्गीयों को खुले में जलाते हुए।

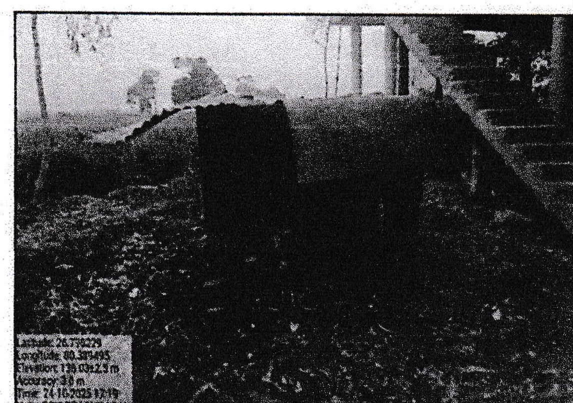

मृत मुर्गीयों को खुले में जलाते हुए।

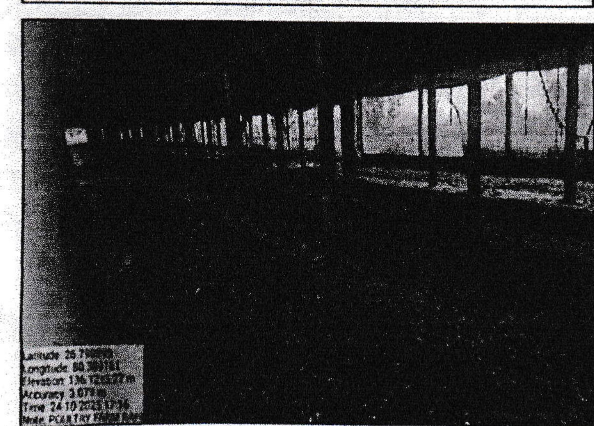

सॉलिड वेस्ट (मुर्गियों की बीट्स इत्यादि) को खुले में भण्डारित करते हुए

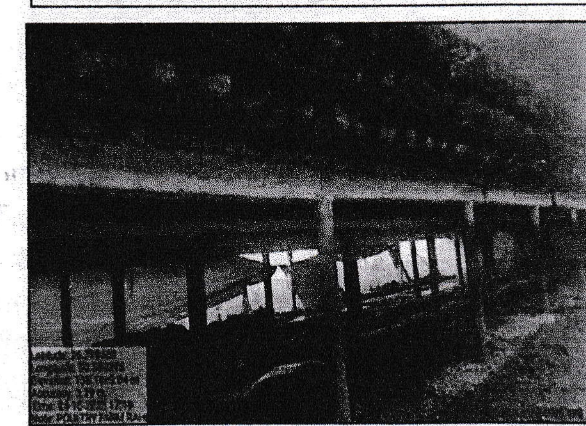

सॉलिड वेस्ट (मुर्गियों की बीट्स इत्यादि) को खुले में भण्डारित करते हुए

लेयर फार्मिंग में मक्खिया

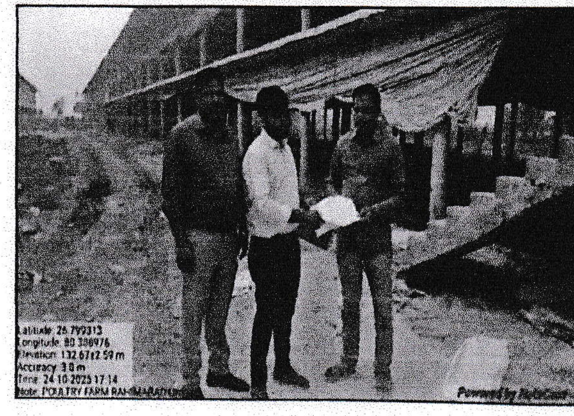

कारण बताओ नोटिस की प्रति तामीला कराते हुए

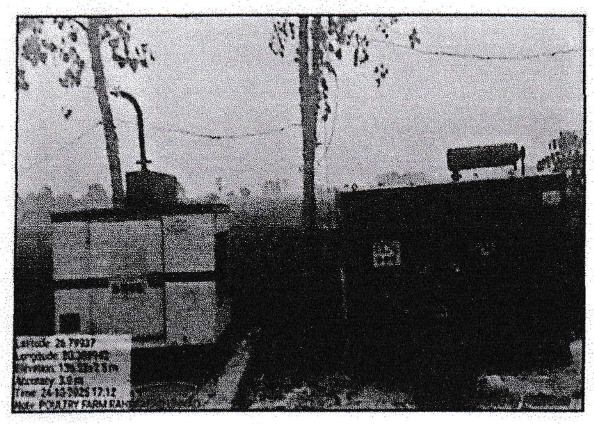

लेयर फार्म में स्थापित डी0जी0 सेट

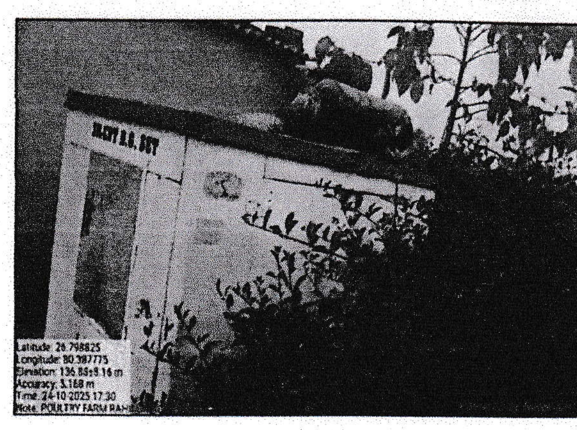

लेयर फार्म में स्थापित डी0जी0 सेट

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रश्नगत लेयर फार्म इकाई को राज्य बोर्ड से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31 'ए' के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.10.2025 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार

(बीरेन्द्र कुमार)
अवर अभियंता

(उपेन्द्र प्रसाद)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

ANNEXURE R-7

62

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल :लखनऊ,जनपद :उन्नाव,तहसील :सफीपुर

वाद संख्या :-8948/2025

कंम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202510690308948

सरकार बनाम अत्तन मियां उर्फ अंताउर्रहमान सिददीकी, संचालक पोल्टी फार्म ग्राम रहीमाबाद

अंतर्गत धारा:- 152, अधिनियम :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

ग्राम– रहीमाबाद थाना आसीवंन जनपद उन्नाव

सरकार

बनाम

अत्तन मियां उर्फ अताउर्रहमान सिद्दीकी, संचालक पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद थाना आसीवंन जनपद उन्नाव

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/उप मुख्य चिकित्साधिकारी तहसील सफीपुर जनपद उन्नाव की आख्या दिनांक 11–09–2025 के आधार पर प्रारम्भ की गयी। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/उप मुख्य चिकित्साधिकारी तहसील सफीपुर जनपद उन्नाव ने अपनी आख्या में दर्शाया है कि पोल्ट्री फार्म के विरूद्व प्राप्त शिकायत में शिकायतकर्ताओं द्वारा उल्लेख किया गया है कि ग्राम रहीमाबाद तहसील सफीपुर थाना आसीवन जनपद उन्नाव के निवासी है, हमारे गांव में उन्नाव के निवासी अत्तन मियां ने एक बडा पोल्ट्री फार्म खोला है जिससे हमारे गांव व आस–पास के गांवों में मक्खियों का प्रकोप बहुत बढ़ गया है जिससे गांव में खाना पीना व सोना मुश्किल हो गया है और दुर्गन्ध विषैली हवा इत्यादि गंदगी के कारण विभिन्न बीमारियां उत्पन्न हो गया है जिससे गांव में काफी संख्या में लोग जान लेवा बीमारी से ग्रसित हो चुके है, प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म एक लेयर फार्मिंग है निरीक्षण के समय पोल्ट्री फार्म में लगभग 28000 मुर्गिया पायी गयी, उक्त मुर्गियों से लगभग प्रतिदिन 25000 अण्डा उत्पादन होता है, निरीक्षण के समय लेयर फार्म से लगभग 180मी0 की दूरी पर ग्राम रहीमाबाद की आबादी स्थित पायी गयी, लेयर फार्म से जनित वेस्ट (मुर्गियों की बीट) को खुले में भण्डारित किये जाने से दुर्गन्ध उत्पन्न हो रही है तथा मक्खियां आदि जनित हो रही थी, लेयर फार्म में साफ सफाई की व्यवस्था उचित नहीं पायी गयी जिससे आस–पास ग्रामवासियों के स्वास्थ पर विपरीत प्रभाव पडना स्वभाविक है, निरीक्षण के समय मृत मुर्गियों के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित करने से कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, मृत मुर्गियों को खुले में डालने से दुर्गन्ध उत्पन्न हो रही थी जिससे आस–पास ग्रामवासियों के स्वास्थ पर विपरीत प्रभाव पडना स्वभाविक है, लेयर फार्म से जनित दुर्गन्ध के नियंत्रण तथा जनित सॉलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट हेतु कोई पर्याप्त व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, निरीक्षण के समय लेयर फार्म संचालक द्वारा किसी प्रकार के किसी विभाग से लाइसेन्स/अनुमति संवंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे स्पष्ट है कि लेयर फार्म की स्थापना से पूर्व या संचालन हेतु किसी भी विभाग से कोई एन0ओ0सी0/लाइसेंस नहीं प्राप्त किया गया है। निरीक्षण के समय उपस्थित ग्रामवासियों

उप जिला मजिस्ट्रेट सफीपुर जनपद–उन्नाव

294

File No. UPPCB-LAW/0ACCC/2348/2025-LAW-UPPCB (Computer No. 692932)

63

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :उन्नाव,तहसील :सफीपुर
वाद संख्या :-8948/2025
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202510690308948
सरकार बनाम अत्तन मियां उर्फ अताउर्रहमान सिद्दीकी, संचालक पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद
अंतर्गत धारा:- 152, अधिनियम :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

---2---

द्वारा गांव के पास स्थापित किये गये लेयर फार्म को बंद कराये जाने एवं ग्रामवासियों के स्वास्थ के ऊपर पड़ रहे विपरीत प्रभाव जैसे-दुर्गन्ध, मक्खियां आदि को तत्काल रोक लगाई जाये, ग्रामवासियों द्वारा लेयर फार्म के विरूद्ध हुए जोर तरीके से संगठित होकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था तथा पोल्ट्री लेयर फॉर्मिंग से दुर्गन्ध/मक्खियों के दृष्टिगत मौके पर पब्लिक न्यूसेन्स की समस्या पायी गयी, कुक्कुट नीति–2023 के अन्तर्गत निर्धारित पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म की स्थापना हेतु स्थल मापदण्डों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है इसके अतिरिक्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनवरी 2022 में पोल्ट्री फार्म के लिए गाइड लाइन जारी की गयी है, जारी गाइड लाइन के अनुसार पोल्ट्री फार्म की स्थापना आवासीय क्षेत्र से लगभग 500मी0 की दूरी पर होनी चाहिए, उक्त संदर्भित पोल्ट्री फार्म जारी गाइड लाइन एवं कुक्कुट नीति में प्राविधानित माप दण्डों के अनुसार स्थापित नहीं किया गया है, लेयर फार्म के समीप आबादी होने के कारण लेयर फार्म से जनित दुर्गन्ध एवं मक्खियों से ग्राम वासियों पर पड़ने वाले प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए लेयर फार्म के विरूद्ध भारतीय नागरिक दण्ड संहिता की धारा 152 (पब्लिक न्यूसेन्स) के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने के साथ–साथ कुक्कुट नीति–2023 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गयी है। वाद दर्ज रजिस्टर किये जाने के उपरान्त दिनांक 18.09.2025 को सशर्त आदेश अन्तर्गत धारा–152(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 निर्गत किया गया तथा प्रतिवादी पक्ष को जन सामान्य के हित में उपरोक्त मुर्गियों की बीट खुले में भण्डारित करना बन्द करने जिससे मक्खियां आदि जनित न हो तथा मृत मुर्गियों को खुले में न डाला जाये तथा लेयर फार्म में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया तथा दिनांक 25.09.2025 को स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 25.09.2025 को ग्राम प्रधान व प्रतिवादी अत्तन मियां जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा प्रतिवादी अत्तन मियां की ओर से जवाब दाखिल करने हेतु अवसर प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा ग्राम प्रधान द्वारा नवरात्रि के दृष्टिगत साफ सफाई कराये जाने की मांग किये जाने पर प्रतिवादी अत्तन मियां को साफ सफाई इत्यादि के दृष्टिगत कृत कार्यवाही व जवाब हेतु अगली तिथि 06.10.2025 नियत की गयी। दिनांक 06.10.2025 को प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया तथा पत्रावली वास्ते जवाब संतोष कुमार व सुनवाई हेतु नियत की गयी। दिनांक 08.10.2025 को सन्तोष कुमार ग्राम प्रधान रहीमाबाद की ओर से प्रतिवादी के जवाब दिनांकित 06.10.2025 के

255

File No. PPCB-LAW0HCCC/21/2/2025-LAW-UPPCB (Computer No. ...)

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल :लखनऊ,जनपद :उन्नाव,तहसील :सफीपुर

वाद संख्या :-8948/2025

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202510690308948

सरकार बनाम अत्तन मियां उर्फ अताउर्रहमान सिददीकी, संचालक पोल्टी फार्म ग्राम रहीमाबाद

अंतर्गत धारा:- 152, अधिनियम :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

विरूद्व आपत्ति प्रस्तुत की गयी तथा प्रतिवादी अत्तन मियां की ओर से साक्ष्य में पेन ड्राइव प्रस्तुत की गयी तथा प्रकरण से सम्बन्धित अवर अभियन्ता, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रक अधिकारी व उप पशु चिकित्साधिकारी सफीपुर जनपद उन्नाव की निरीक्षण आख्या दिनांकित 03.10.2025 पत्रावली पर संलग्न की गयी तथा पत्रावली वास्ते जवाब निरीक्षण आख्या दिनांकित 03.10.2025 व सुनवाई हेतु नियत की गयी।

मैने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं वाद पत्रावली का विधिवत् परिशलीन किया। प्रतिवादी अत्तन मियां उर्फ अताउर्रहमान के अधिवक्ता का कथन है कि प्रतिवादी का अपनी संकमणीय भूमिधरी नम्बर 431 रकबा 1.908हे0 स्थित ग्राम रहीमाबाद में पोल्ट्री फार्म कई वर्षो पूर्व से आबादी से 500 मीटर से अधिक दूरी पर संचालित है, मुख्य चिकित्साधिकारी उन्नाव ने जिलाधिकारी उन्नाव को अपनी रिर्पोट दिनांक 19.10.2024 को प्रस्तुत पत्रांक संख्या 1197/आई0जी0आर0एस0 2024–25 दिनांक 19.10.2024 को प्रस्तुत की जा चुकी है जिसमें निर्देश जारी कर एन0ओ0सी0 दी गयी थी, प्रतिवादी द्वारा पोल्ट्री किसानों की फार्मिंग को जिला पंचायत द्वारा लाइसेन्स टैक्स व नक्शा के संबंध में शासनादेश संख्या 2607/332–2023 दिनांक 20.11.2023 पंचायती राज अनुभाग–2 में उल्लेख किया गया है पोल्ट्री फार्मिंग में जिला पंचायतों द्वारा लाइसेन्स, टैक्स व नक्शा स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है पर व्यवसाय कृषि का एक अंग है, जिला पंचायतों में इन प्रयोजनों में लगे कृषिकों से इस विषय में कोर्ट नोटिस नहीं देगा और न कोई टैक्स वसूलेगा, पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों के बीट को खाद बनाने/व्यवसाय करने वाले लोग व किसान अपने खोते के उपजाऊ के लिए प्रतिदिन बीट उठाते है लिहाजा लगाये गये आरोप बीट का भन्डारण के संबंध में गलत एवं निराधार है, अगर बीट का भन्डारण किया जायेगा तो मुर्गियों की बीमारी का प्रकोप ज्यादा रहता है इसलिए मुर्गियों के बीट का भन्डारण नहीं होता है, किसी कारण वश मुर्गियों के मर जाने के पश्चात् उनको हीटिंग मशीन द्वारा नष्ट कर दिया जाता है जिससे कोई बीमारी और मुर्गियो को क्षति न पहुचे इसलिए लगाये गये आरोप गलत एवं निराधार है, पोल्ट्री फार्मिंग में व उसके आस पास क्षेत्रों में प्रतिदिन पशु चिकित्साधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दवाओ का छिडकांव किया जाता रहता है जिसकी प्रतिदिन दवाओ का एक रजिस्टर है और लगे हुए सी0सी0 कैमरो जो पोल्ट्री फार्म में लगे है देखा जा सकता है, हीटिंग मशीन की फोटो जवाब के साथ संलग्न की गयी है, पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय बहुत ही साफ सफाई रखने का होता है चूंकि कोई इन्फेक्शन न हो सके इसलिए बाहरी व्यक्तियों के लिए पोल्ट्री फार्म में आना सख्त मना है परन्तु शासन की नीति के खिलाफ/दिशा निर्देश के

296

उप जिला मजिस्ट्रेट, सफीपुर जनपद-उन्नाव

File No. UPPCB-LAW...

65

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :उन्नाव,तहसील :सफीपुर
वाद संख्या :-8948/2025
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202510690308948
सरकार बनाम अत्तन मियां उर्फ अताउर्रहमान सिददीकी, संचालक पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद
अंतर्गत धारा:- 152, अधिनियम :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

---4---

खिलाफ आये दिन प्रधान अपने दस बीस साथियो को लेकर पोल्ट्री फार्म में घुस आते है और उधमबाजी करते है जिससे पोल्ट्री फार्म के कर्मचारी व मुर्गियो के बच्चो को क्षति पहुंचती है इन्फेक्सन का खतरा बढ जाता है, संचालित हो रहे पोल्ट्री फार्म में डाक्टरों की उपस्थिति में दवाओं का छिडकाव किया जाता है, इसी से सम्बंधित प्रतिवादी ने एक रिट याचिका संख्या 9611/2025 एम/एस बलिगटन लेयर फर्म अताउर्रहमान बनाम उत्तर प्रदेश आदि मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ 1905 पी0 लखनऊ में विचाराधीन है, उपरोक्त वाद में दी गयी नोटिस गलत निराधार मानकर वापस ली जाये अथवा मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका के निस्तारण तक प्रस्तुत वाद स्थापित किया जाये।

ग्राम प्रधान संतोष कुमार के अधिवक्ता का कथन है कि प्रतिवादी का पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद में संचालित है जिसकी आबादी से दूरी 180 मीटर है जो कि मानक विहीन है तथा केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जनवरी 2022 में पोल्ट्री फार्म के लिए गाइड लाइन जारी की गयी है, जारी गाइड लाइन के अनुसार पोल्ट्री फार्म की स्थापना आवासीय क्षेत्र से लगभग 500 मीटर की दूरी पर होनी चाहिये, उक्त संदर्भित पोल्ट्री फार्म जारी गाइड लाइन एवं कुक्कुट नीति के प्राविधानित मापदण्डों के अनुसार स्थापित नहीं किया गया है इसलिए पोल्ट्री फार्म जनहित में बन्द कराये जाने योग्य है, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एवं उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सफीपुर द्वारा दिनांक 02.09.2025 को संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया गया है जिसमें उक्त पोल्ट्री फार्म के संचालन में कई कमियां पाई गयी है जिसमें पोल्ट्री फार्म से आबादी की दूरी 180 मीटर पाई गयी है जो मानक विहीन है तथा निरीक्षण के समय मृत मुर्गियो के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित करने की कोई व्यवस्था नहीं पाई गयी जिससे उक्त मुर्गियो को खुले में डालने से दुर्गन्ध उत्पन्न हो रही है जिससे ग्रामवासियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड रहा है तथा निरीक्षण के समय लेयर फार्म से जनित दुर्गन्ध के नियन्त्रण तथा जनित सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं पाई गयी जिससे स्पष्ट है कि पोल्ट्री फार्म मानक विहीन है जिसे जनहित में बन्द किया जाना अति आवश्यक है, निरीक्षण में पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा किसी प्रकार के किसी विभाग के लाइसेन्स/अनुमति सम्बन्धित दस्तावेज नहीं दिखाये गये है जिससे स्पष्ट है कि उक्त पोल्ट्री फार्म बिना किसी एन0ओ0सी0 या लाइसेन्स के चल रहा है, उक्त पोल्ट्री फार्म की बीट की सफाई नहीं की जा रही है जिससे दुर्गन्ध के कारण ग्रामवासी परेशान है गंदगी के कारण ग्रामवासियों में कई प्रकार के रोग फैल रहे है जिस कारण से उक्त पोल्ट्री फार्म को बन्द करवाया जाना अति

197

File No. [illegible]B-LAW0HCCC/2348/2025-LAW-UPPCB (Computer No. [illegible])

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :उन्नाव,तहसील :सफीपुर
वाद संख्या :-8948/2025
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202510690308948
सरकार बनाम अत्तन मियां उर्फ अताउर्रहमान सिददीकी, संचालक पोल्टी फार्म ग्राम रहीमाबाद
अंतर्गत धारा:- 152, अधिनियम :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

---5---

आवश्यक है, उक्त पोल्ट्री फार्म में मृत मुर्गियों को नष्ट करने के लिए कोई हीटिंग मशीन का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, मुर्गियों के सडने से कई प्रकार की घातक बीमारियों के फैलने का डर है एवं मक्खियों के प्रकोप से विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों में रोग फैलने का अत्यधिक खतरा है एवं बच्चों की मानसिक स्थित पर गलत असर पड रहा है इसलिए उक्त पोल्ट्री फार्म का संचालन तुरन्त बन्द कराया जाना अति आवश्यक है, मृत मुर्गियों को रडले में जलाया जाता है व पास के तालाब में फेंक दिया जाता है, उक्त पोल्ट्री फार्म में पशु चिकित्साधिकारी के दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कभी कोई दवा का छिडकाव नहीं किया गया है जिसे पशु चिकित्साधिकारी द्वारा दी गयी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि निरीक्षण में कोई भी हीटिंग मशीन नहीं पायी गयी, उक्त पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा ग्राम प्रधान के विरूद्व गलत आरोप लगाया गया है जिसकी सत्यतता की जॉच सी0सी0टी0वी0 कैमरा से की जा सकती है, ग्रामवासियों की शिकायत पर ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव भी पारित किया गया है कि उक्त पोल्ट्री फार्म से ग्रामवासियों के स्वास्थ्य एवं बच्चों के स्वास्थ के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है इसलिए उक्त पोल्ट्री फार्म को बन्द कराया जाये, इस बात को लेकर ही पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा ग्राम प्रधान पर झूठे निराधार आरोप लगाये जा रहे है, लेयर फार्म के समीप आबादी होने के कारण लेयर फार्म से जनित दुर्गन्ध एवं मक्खियों से ग्रामवासियों एवं बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए लेयर फार्म के विरूद्व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 (पब्लिक न्यूसेन्स) के अन्तर्गत कार्यवाही करने के साथ कुक्कुट नीति 2013 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के साथ साथ उक्त पोल्ट्री फार्म बन्द किये जाने का आदेश पारित किया जाये।

निरीक्षण आख्या दिनांकित 11.09.2025 में उल्लिखित है कि-

1- पोल्ट्री फार्म के विरूद्व प्राप्त शिकायत में शिकायतकर्ताओं द्वारा उल्लेख किया गया है कि ग्राम-रहीमाबाद तहसील-सफीपुर थाना आसीवन जनपद-उन्नाव के निवासी है। हमारे गांव में उन्नाव के निवासी अत्तन मिया मैं एक बड़ा पोल्ट्री फार्म खोला है जिससे हमारे गांव व आस-पास के गांवों की मक्खियों का प्रकोप बहुत बढ गया है जिससे गांव में खाना पीना व सोना मुश्किल हो गया है और दुर्गन्ध विषेली हवा इत्यादि गंदगी के कारण विभिन्न बीमारियां उत्पन्न हो गयी है जिससे गांव में काफी संख्या में लोग जान लेवा बीमारी से ग्रसित हो चुके है।

उप जिला मजिस्ट्रेट सफीपुर जनपद-उन्नाव

298

66

67

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल :लखनऊ,जनपद :उन्नाव,तहसील :सफीपुर

वाद संख्या :-8948/2025

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202510690308948

सरकार बनाम अस्लम मिर्या उर्फ अताउर्रहमान सिद्दीकी, संचालक पोल्टी फार्म ग्राम रहीमाबाद

अंतर्गत धारा:- 152, अधिनियम :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

—6—

2– प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म एक लेयर फार्मिंग है निरीक्षण के समय पोल्ट्री फार्म में लगभग 28000 मुर्गियां पायी गयी उक्त्त मुर्गियों से लगभग प्रतिदिन 25000 अण्डा उत्पादन होता है।

3– निरीक्षण के समय लेयर फार्म से लगभग 180 मी० की दूरी पर ग्राम-रहीमाबाद की आबादी स्थित पायी गयी। निरीक्षण के समय लेयर फार्म से जनित वेस्ट (मुर्गियों के के बीट) को खुले में भण्डारित किये जाने से दुर्गन्ध उत्पन्न हो रही थी तथा मक्खियां आदि जनित हो रही थी। लेयर फार्म में साफ सफाई की व्यवस्था उचित नही पायी गयी। जिससे आस-पास ग्राम वासियों के स्वास्थ पर विपरीत प्रभाव पडना स्वाभाविक है।

4– निरीक्षण के समय मृत मुर्गियों के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित करने से कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। मृत मुर्गियों को खुले में डालने से दुर्गन्ध उत्पन्न हो रही थी। जिससे आस-पास ग्राम वासियों के स्वास्थ पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

5– निरीक्षण के समय लेयर फार्म से जनित दुर्गन्ध के नियंत्रण तथा जनित सॉलिड वेस्ट मनेजमेन्ट हेतु कोई पर्याप्त व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।

6– निरीक्षण के समय लेयर फार्म संचालक द्वारा किसी प्रकार के किसी विभाग से लाइसेंस/अनुमति संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे स्पष्ट है की लेयर फार्म की स्थापना से पूर्व या संचालन हेतु किसी भी विभाग से कोई एन०ओ०सी०/ लाइसेंस नहीं प्राप्त किया गया है।

7– निरीक्षण के समय उपस्थित ग्राम वासियों द्वारा गांव के पास स्थापित किये गये लेयर फार्म को बंद कराये जाने एवं ग्राम वासियों के स्वास्थ के ऊपर पड़ रहे विपरीत प्रभाव जैसे दुर्गन्ध, मक्खियां आदि की तत्काल रोक लगाई जाये। निरीक्षण के समय लेयर फार्म के विरूद्ध ग्राम वासियों द्वारा हुर जोर तरीके से संगठित होकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था तथा पोल्ट्री लेयर फॉर्मिंग से दुर्गन्ध/ मक्खीयों के दृष्टिगत मौके पर पब्लिक न्यूसेन्स की समस्या पायी गयी।

8– कुक्कुट नीति-2013 के अन्तर्गत निर्धारित पोल्ट्री फार्म / लेयर फार्म की स्थापना हेतु स्थल मापदण्डों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनवरी 2022 में पोल्ट्री फार्म के लिए गाइड लाइन जारी की गयी है। जारी गाइड लाइन के अनुसार पोल्ट्री फार्म की स्थापना आवासीय क्षेत्र से लगभग 500मी० की दूरी पर होनी चाहिए उक्त संदर्भित पोल्ट्री फार्म, जारी गाइड लाइन एवं कुक्कट नीति में प्राविधानित माप दण्डों के अनुसार स्थापित नहीं किया गया है।

299

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल :लखनऊ,जनपद :उन्नाव,तहसील :सफीपुर

वाद संख्या :-8948/2025

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202510690308948

सरकार बनाम अत्तन मियां उर्फ अताउर्रहमान सिद्दीकी, संचालक पोल्टी फार्म ग्राम रहीमाबाद

अंतर्गत धारा:- 152, अधिनियम :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

उपरोक्तानुसार लेयर फार्म के समीप आवादी होने के कारण लेयर फार्म से जनित दुर्गन्ध एवं मक्खियों से ग्राम वासियों पर पड़ने वाले प्रभाव को दृष्टिंगत रखते करते हुए लेयर फार्म के विरुद्ध भारतीय नागरिक दण्ड संहिता की धारा 152 (पब्लिक न्यूसेंस) के अन्तर्गत कार्यवाही किये किये जाने के साथ-साथ कुक्कट नीति-2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की सस्तुति सहित निरीक्षण आख्या प्रेषित की गयी है।

उक्त के अतिरिक्त निरीक्षण आख्या दिनांकित 03.10.2025 में उल्लिखित है कि–

1– निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त शिकायती पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म में तथा पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म के आस पास मक्खियो का प्रकोप अभी वैसा ही है जैसा पूर्व निरीक्षण 1 .09.2025 को पाया गया था।

2– प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म एक लेयर फॉर्मिंग है। निरीक्षण के समय पोल्ट्री फार्म / डेयर फार्म में 28000 मुर्गिया पायी गयी। उक्त मुर्गियों से लगभग 25000 अण्डा उत्पादन किया जाता है।

3– प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म से ग्राम रहिमाबाद की दूरी लगभग 180 मीटर है निरीक्षण के समय मुर्गियों की बीट के निस्तारण की कोई व्यवस्था नही पायी गयी। जनित वैस्ट (मुर्गियों की बीट) को खुले में भण्डारित होता पाया गया जिससे मक्खियां पर्याप्त मात्रा में पायी गयी।

4– पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म से जनित दुर्गन्ध के नियन्त्रण के लिए कोई व्यवस्था नहीं पायी। गयी।

5– निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि मक्खियां में कमी लाने के लिए साइपर मैथरीन दवा का छिड़काव किया जाता है।

6– निरीक्षण के समय मृत मुर्गियां खुले में पायी गयी जिससे दुर्गन्ध तथा मक्खियों होने की सम्भावना है।

7– कुक्कट नीति 2013 के अन्तर्गत निर्धारित पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म की स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड को पूर्ण नही किया जा रहा है।

8– प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म द्वारा वर्तमान में सालिड वेस्ट जनित के निस्तारण की समस्या पुर्वानुसार किये गये निरीक्षण के अनुसार ही है। पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म के संचालन द्वारा समस्या के समाधान हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

उप जिला मजिस्ट्रेट सफीपुर जनपद-उन्नाव

300

FOR UAH

File No. UPPCB-LAW[illegible] (Computer No. [illegible])

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :उन्नाव,तहसील :सफीपुर
वाद संख्या :-8948/2025
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202510690308948
सरकार बनाम अत्तन मियां उर्फ अताउर्रहमान सिद्दीकी, संचालक पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद
अंतर्गत धारा:-152, अधिनियम :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

9– निरीक्षण के समय उपस्थित ग्राम वासियो द्वारा ग्राम के पास संचालित पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म को बन्द किये जाने तथा ग्राम वासियो के स्वास्थ्य के ऊपर पड रहे विपरीत प्रभाव जैस दुर्गन्ध मक्खियां आदि को तत्काल रोक लगाये जाने का विरोध किया जाता पाया गया।

10– उपरोक्त के क्रम में पूर्व में दिनांक 01.09.2025 व 03.09.0225 को प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में संयुक्त रूप से प्रकरण की जांच आख्या दिनांक 11.09.2025 के आधार पर उपजिलाधिकारी, सफीपुर जनपद-उन्नाव में वाद संख्या टी202510690308948 के अन्तर्गत धारा 152 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सरकार बनाम अत्तन मियां उर्फ अताउर्रहमान सिद्दीकी, संचालक पोल्ट्री फार्म / लेयर फार्म ग्राम रहीमाबाद के विरुद्ध जारी की गयी थी।

11– उपजिलाधिकारी, सफीपुर जनपद-उन्नाव द्वारा पुनः पत्र संख्या 694 / अह० फौज०/संयुक्त जांच-पोल्ट्री फार्म / 2025 दिनांक 29.09.2025 को पुनः क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, उन्नाव व उप मुख्यपशुचिकित्साधिकारी, सफीपुर को पुनः जांच करने हेतु पत्र जारी किया गया उपरोक्त के कम में पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म रहीमाबाद में दिनांक 03.10.2025 को संयुक्त रूप से की गयी जांच में पाया गया की के माध्यम से न्यायालय उपजिलाधिकारी, सफीपुर जनपद-उन्नाव द्वारा धारा 152 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म संचालक द्वारा तद्दिनांक 03.10.2025 तक कोई भी सुधार नही किया गया है पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म की स्थिति पूर्व निरीक्षण दिनांक 11.09.2025 की ही भाँति है।
कुक्कुट नीति 2013 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त विवेचना व प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण आख्या के परिशीलन के आधार पर निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित होते है:–

1. ग्राम रहीमाबाद में प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद की आबादी से 180 मीटर की दूरी पर स्थित है जब कि गाइड लाइन के अनुसार पोल्ट्री फार्म की स्थापना आवासीय क्षेत्र से लगभग 500 मीटर की दूरी पर होना चाहिये।
2. प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म एक लेयर फार्मिंग है, उक्त पोल्ट्री फार्म में लगभग 28000 मुर्गिया पायी गयी और उक्त मुर्गियों से लगभग 26000 अण्डा प्रतिदिन उत्पादन होता है।

301

69

File No. UPPCB-LAW/OHCCC/23-3/2025-LAW-UPPCB (Computer No. [illegible])
Generated from eOffice by SURYA BHAN RAM, JA(SBR)-CS-UPPCB, JUNIOR ASSISTANT, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD on 14/11/2025 11:11 am

70

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल :लखनऊ,जनपद :उन्नाव,तहसील :सफीपुर

वाद संख्या :-8948/2025

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202510690308948

सरकार बनाम अत्तन मियां उर्फ अताउर्रहमान सिद्दीकी, संचालक पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद

अंतर्गत धारा:- 152, अधिनियम :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

--9--

3. लेयर फार्म से जनित वेस्ट (मुर्गियों के बीट) को खुले में भण्डारित किये जाने से दुर्गन्ध उत्पन्न हो रही है तथा मक्खियां आदि जनित हो रही है।
4. लेयर फार्म में साफ सफाई की उचित व्यवस्था न होने के कारण आस पास ग्रामवासियों के स्वास्थ पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।
5. मृत मुर्गियों के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित करने की कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी जिससे मृत मुर्गियों को खुले में डाला जा रहा है जिस कारण से दुर्गन्ध उत्पन्न हो रही है जिससे आस पास ग्रामवासियों के स्वास्थ पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।
6. लेयर फार्म से जनित दुर्गन्ध के नियन्त्रण तथा जनित सॉलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट हेतु पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा कोई पर्याप्त व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी।
7. पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा कुक्कुट नीति-2013 के अन्तर्गत निर्धारित पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म की स्थापना हेतु स्थल मापदण्डों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनवरी 2022 में जारी गाइड लाइन का पालन नहीं किया जा रहा है।
8. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अन्तर्गत वाद योजित होने के उपरान्त प्रतिवादी को नोटिस जारी/तामीला होने के बाद भी उपरोक्त समस्याओं/कमियों के निवारण हेतु पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा कोई पर्याप्त सुधार अमल में नहीं लाया गया, जो कि प्रस्तुत निरीक्षण आख्या दिनांकित 03.10.2025 से स्पष्ट रूप से परिलक्षित है।
9. पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा समस्या के समाधान हेतु कोई ठोस उपचार न किये जाने के कारण ग्रामवासियों में निरन्तर रोष व्याप्त है तथा ग्रामवासियों द्वारा संगठित रूप से उक्त पोल्ट्री फार्म के विरूद्व विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है तथा पोल्ट्री फार्म को बन्द कराये जाने की मांग की जा रही है।
10. ग्राम पंचायत की बैठक में उक्त पोल्ट्री फार्म के विरूद्व प्रस्ताव पारित होने के बाद भी पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा ग्रामवासियों व बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति घोर लापरवाही बरती जा रही है जिससे ग्रामवासियों में उक्त पोल्ट्री फार्म बन्द कराये जाने हेतु काफी रोष व्याप्त है।

उपरोक्त से परिलक्षित है कि ग्राम रहीमाबाद में प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद की आबादी के निकट (निर्धारित मानक से दूर न होने) होने के कारण तथा पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा मुख्य रूप से लेयर फार्म

302

उप जिला मजिस्ट्रेट सफीपुर जनपद-उन्नाव

71

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :उन्नाव,तहसील :सफीपुर
वाद संख्या :-8948/2025
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202510690308948
सरकार बनाम अख्तर मियाँ उर्फ अताउर्रहमान सिद्दीकी, संचालक पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद
अंतर्गत धारा:- 152, अधिनियम :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

--10--

से जनित वेस्ट (मुर्गियों की बीट) को खुले में भण्डारित करने व मृत मुर्गियों को खुले में डालने व नियमित साफ सफाई व दवा छिड़काव न कराये जाने से दुर्गन्ध उत्पन्न हो रही है तथा अत्यधिक संख्या में मक्खियां आदि जनित हो रही है जिससे ग्रामवासियों व बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा ग्रामवासियों का दैनिक जनजीवन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा कुक्कुट नीति–2013 के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनवरी 2022 में जारी गाइड लाइन का पालन न किये जाने तथा समस्या के संज्ञान में आने के उपरान्त भी उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु पर्याप्त व्यवस्था व कार्यवाही न किये जाने से ग्रामवासियों द्वारा उक्त पोल्ट्री फार्म को बन्द कराये जाने की मांग प्रबल है। पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा न्यायालय में बहस दौरान स्वयं बताया गया कि पोल्ट्री फार्म में 15000, 15000 की क्षमता के 02 केज है। जिसके आधार पर भी पोल्ट्री फार्म में 30000 मुर्गियों को रखने की व्यवस्था की गयी है तथा निरीक्षण आख्या में भी 28000 मुर्गियों के होने की बात कही गयी है। Enviromental Guidelines for Poultry Farms में उल्लिखित है कि "Poultry Farms handling birds above 25,000 at single location will have to obtain consent to establish (CTE) and consent for operate (CTO) under the Water Act, 1974 & Air Act 1981 from State Pollution Control Board/Pollution Control Committee." पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा अपने पोल्ट्री फार्म में 25000 की क्षमता से अधिक मुर्गियाँ रखी जा रही है और उपरोक्त निर्देशों के क्रम में पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा 25000 से अधिक मुर्गियाँ रखने पर उपरोक्त विभागों से सम्बन्धित एन0ओ0सी0 / सार्टिफिकेट भी प्राप्त नहीं किया गया है। जिसके आधार पर भी पोल्ट्री फार्म का संचालन नियम अनुरूप नहीं हो रहा है।

पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा मृत मुर्गियों को खुले में डाल देने से पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 का अक्षरशः पालन नहीं किया जा रहा है जिससे विदित होता है कि पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप कार्य न करते हुये पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुये पोल्ट्री फार्म संचालन किया जा रहा है।

पोल्ट्री फार्म संचालक को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 152(1) के तहत नोटिस दिये जाने के बाद भी कोई अपेक्षित सुधार नहीं किया गया है। प्रकरण में न्यायालय में भारतीय नागरिक सुरक्षा

363

File No. ...

72

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :उन्नाव,तहसील :सफीपुर
वाद संख्या :-8948/2025
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202510690308948
सरकार बनाम अत्तन मियां उर्फ अताउर्रहमान सिद्दीकी, संचालक पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद
अंतर्गत धारा:- 152, अधिनियम :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

--11--

संहिता 2023 की धारा 154 (ख) के क्रम में वर्चुअल सुनवाई व कोर्ट में पक्षकारों की हाजिरी में भी सुनवाई की गयी तथा वर्चुअल सुनवाई में पुनः कोई सुधार न किया जाना व गन्दगी होना पाया गया तथा न्यायालय में हाजिर ग्रामवासियों द्वारा कोई सुधार न किये जाने व समस्या तस की जस बनी रहने व पोल्ट्री फार्म बन्द कराये जाने की बात कही गयी। यद्यपि पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्मिंग को प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है परन्तु उक्त कारकों में स्थानीय निवासियों का स्वास्थ व जीवन जीने की मौलिक आवश्यकता यथा स्वच्छ वातावरण व दुर्गन्ध तथा मक्खी रहित परिवेश भी आधुनिक मावन समाज का महती व अत्यन्त मूलभूत अधिकार है तथा स्वस्थ मानव जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-152(1)(ख) में उल्लिखित है कि "किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या किसी माल या पण्य वस्तु को रखना समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिए हानिकारक है और परिणामतः ऐसा व्यापार या उपजीविका प्रतिषिद्व या विनियमित की जानी चाहिए या ऐसा माल या पण्य वस्तु हटा दी जानी चाहिए या उसको रखना विनियमित किया जाना चाहिए"। ऐसी स्थिति में पोल्ट्री फार्म संचालक को ग्रामवासियों के स्वास्थ व दैनिक जनजीवन में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत उपरोक्त कमियों के ठोस सुधार तथा कुक्कुट नीति-2013 में उल्लिखित मापदण्डों के अनुरूप व केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की जनवरी 2022 की गाइड लाइन के अनुरूप कार्यवाही कर समस्या का समाधान किये जाने हेतु व सम्बन्धित विभाग से एन0ओ0सी0 प्राप्त करने हेतु समय दिया जाना उचित है। यदि प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा उक्त का अनुपालन नियत समय सीमा में नहीं किया जाता है तो प्रभारी निरीक्षक थाना आसीवन व तहसीलदार सफीपुर की सुपुर्दगी में दिया जाना जनहित में आवश्यक व न्यायसंगत है। अतएव न्यायालय द्वारा जारी सशर्त आदेश दिनांक 18-09-2025 को अन्तिम आदेश में परिवर्तित किया जाना आवश्यक है। अतः आदेश हुआ कि

आदेश

प्रतिवादी पक्ष अत्तन मियां उर्फ अताउर्रहमान सिद्दीकी, संचालक पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म के कारण ग्राम रहीमाबाद के निवासियों के स्वास्थ्य व दैनिक जनजीवन में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत उपरोक्त पोल्ट्री फार्म में व्यवसायिक गतिविधि तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें तथा उपरोक्त कमियों के ठोस सुधार तथा कुक्कुट नीति-2013 में उल्लिखित मापदण्डों के अनुरूप व केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की जनवरी 2022 की गाइड लाइन के अनुरूप कार्यवाही कर समस्या का

73

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल :लखनऊ,जनपद :उन्नाव,तहसील :सफीपुर

वाद संख्या :-8948/2025

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202510690308948

सरकार बनाम अत्तन मियां उर्फ अताउर्रहमान सिद्दीकी, संचालक पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद

अंतर्गत धारा:- 152, अधिनियम :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

---12---

समाधान करने व एन0ओ0सी0 सम्बन्धित विभाग से प्राप्त किये जाने/किये जाने की प्रकिया हेतु पन्द्रह दिन का समय दिया जाता है। यदि प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा उक्त का अनुपालन नियत समय सीमा में नहीं किया जाता है तथा सम्बन्धित विभाग से Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) की एन0ओ0सी0/सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तो नियत अवधि बाद तहसीलदार सफीपुर व प्रभारी निरीक्षक थाना आसीयन उपरोक्त पोल्ट्री फार्म अपनी सुपुर्दगी में लेकर पोल्ट्री फार्म को बन्द या स्थानान्तरित कराने की कार्यवाही करेंगे जिसमें पशु चिकित्साधिकारी अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे। आदेश की प्रति आदेश का अनुपालन कराने हेतु तहसीलदार सफीपुर व प्रभारी निरीक्षक थाना आंसीवन जनपद उन्नाव व पशु चिकित्साधिकारी सफीपुर को प्रेषित की जाये। आदेश का अनुपालन उपरोक्तानुसार सुनिश्चित किया जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक– 18.10.2025

(शिवेन्द्र कुमार वर्मा)
उपजिला मजिस्ट्रेट सफीपुर
जनपद–उन्नाव

उप जिला मजिस्ट्रेट सफीपुर जनपद–उन्नाव

ANNEXURE R-8

कार्यालय जिलाधिकारी, उन्नाव

पत्रांक– 649/NOC-1691/2025 दिनांक 30.10.2025

आदेश

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय लखनऊ के पत्रांक–एच 34014/सी–5/वायु–166/2025 दिनांक–29.10.2025 द्वारा श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव, को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31 'ए' के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन/कियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निम्नवत् संयुक्त समिति गठित की जाती है:–

1. उपजिलाधिकारी, सफीपुर, उन्नाव।
2. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उन्नाव/नामित प्रतिनिधि।
3. क्षेत्राधिकारी पुलिस, सफीपुर, उन्नाव।
4. अधिशाषी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड IV, बांगरमऊ/सफीपुर, उन्नाव।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव/नामित प्रतिनिधि–सदस्य संयोजक।

उपरोक्त समिति को निर्देशित किया जाता है कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक 29.10.2025 का अनुपालन/कियान्वयन सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही/बंदी की अनुपालन आख्या से 03 दिवसो के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराते हुए उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को बंदी की अनुपालन आख्या प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

(गौरांग राठी)
जिलाधिकारी,
उन्नाव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. पुलिस अधीक्षक, उन्नाव।
3. संयुक्त समिति के समस्त सदस्यों को अनुपालनार्थ।
4. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म की बंदी सुनिश्चित किये जाने हेतु पोल्ट्री फार्म के जीवित पक्षियों को तत्काल बाहर निकलवाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव को इस निर्देश के साथ कि उक्त बन्दी आदेश की अनुपालन आख्या उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
उन्नाव

सेवामे

संलग्नक - 01

उपजिला अधिकारी

सफीपुर उन्नाव

महोदय

अवगत कराना है कि धर्मेन्द्र सिंह 8840015538 सुपरवाइजर उपवन मिश्रा पोल्ट्री फार्म रहीमाबाद तहसील सफीपुर थाना असीवन जनपद उन्नाव मे स्थापीत है जिसमे वर्तमान मे 22000 हजार मुर्गी है जो जीवीत है उसकी ~~जल्द~~ तीन 3 दिन के अन्दर हटाने का समय दिया जाय

धर्मेन्द्र सिंह

दिनांक-04-11-25

सुपरवाइजर

8840015538

उपवन मिश्रा

मुर्गी फारम

कार्यालय उप जिलाधिकारी सफीपुर, उन्नाव।

पत्रांक 384 /एसटी./पोल्ट्री फार्म-रहीमाबाद/2025

दिनांकः- 04.XI.2025

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
उन्नाव।

कृपया उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संदर्भ संख्या H34014/सी-5/वायु-166/2025 दिनांक 29.10.2025 के अनुक्रम में जिलाधिकारी महोदय उन्नाव के पत्रांक 649/NOC-1691/2025 दिनांक 30.10.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम रहीमाबाद, तहसील सफीपुर थाना आसीवन जनपद उन्नाव को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संदर्भ संख्या H34014/सी-5/वायु-166/2025 द्वारा मुख्य पशुचिकित्साधिकारी उन्नाव को, श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म को यदि कोई अनुज्ञा प्रदान की गयी हो तो उसे निरस्त करते हुए श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद, तहसील सफीपुर थाना आसीवन जनपद उन्नाव से जीवित पक्षियों को तत्काल उक्त परिसर से बाहर निकलवाकर बन्दी आदेश सुनिश्चित कराने तथा अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश दिनांक 29.10.2025 तथा जिलाधिकारी महोदय उन्नाव के आदेश दिनांक 30.10.2025 का अनुपालन न होने से श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद, तहसील सफीपुर थाना आसीवन जनपद उन्नाव से जीवित पक्षियों को अभी तक बाहर नहीं किया गया है, जिससे सीलिंग की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि श्री अत्तन मियां से समन्वय स्थापित कर उक्त संचालित पोल्ट्री फार्म स्थित ग्राम रहीमाबाद, तहसील सफीपुर थाना आसीवन जनपद उन्नाव से जीवित पक्षियों को बाहर निकलवाने हेतु तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें, जिससे अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

उपजिलाधिकारी,
सफीपुर, उन्नाव।

पत्रांक व दिनांकः-उपरोक्त।
प्रतिलिपिः-

01- जिलाधिकारी महोदय उन्नाव को सादर सूचनार्थ।
02- क्षेत्राधिकारी सफीपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मुख्य पशु चिकित्साधिकारी उन्नाव से सम्पर्क स्थापित कर उपरोक्त आदेश का अनुपालन करायें।
03- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उन्नाव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी,
सफीपुर, उन्नाव।

संलग्नक-03

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, UNNAO

संदर्भ सं0/Ref.No. 714/एन0ओ0सी0–1691/2025 दिनांक/Date– 19/11/2025

सेवा में,
जिलाधिकारी महोदय,
उन्नाव।

विषयः श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, थाना–आसीवन, तहसील–सफीपुर, जनपद–उन्नाव के विरूद्ध राज्य बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक 29.10.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सादर अवगत होना चाहें कि ग्राम–रहीमाबाद, सफीपुर, उन्नाव में श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म से ग्राम–रहीमाबाद के ग्रामवासियों को हो रही समस्या के दृष्टिगत ग्रामवासियों द्वारा जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव को की गयी शिकायतों के कम में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उन्नाव एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव की संयुक्त समिति द्वारा जाँच दिनांक 02.09.2025 को की गयी। उक्त संयुक्त जाँच में प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म उ0प्र0 शासन की कुकुट नीति, 2013 के मापदण्डों के अनुसार न होने तथा सी0पी0सी0बी0 द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुरूप न होने के दृष्टिगत प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म के विरूद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.10.2025 जारी किया गया था।

उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुपालन में प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म द्वारा न किये जाने के दृष्टिगत प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म के विरूद्ध बन्दी आदेश दिनांक 29.10.2025 (संलग्नक–01) जारी किया गया है। उक्त बन्दी आदेश दिनांक 29.10.2025 में प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म को खाली कराये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव को पृष्ठाकिंत निर्देशित है। उक्त बन्दी आदेश के कियान्वयन हेतु महोदय के पत्रांक–649/एन0ओ0सी0–1691/2025 दिनांक–30.10.2025 (संलग्नक–02) द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 04.11.2025 को श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, थाना–आसीवन, तहसील–सफीपुर, जनपद–उन्नाव की बन्दी आदेश के कियान्वयन हेतु विद्युत विभाग, उन्नाव द्वारा विद्युत संयोजन एवं एक नग डी0जी0सेट सीलिंग की कार्यवाही की गयी। निरीक्षण के समय मौके पर दोनों शेडों में लगभग 22000 मुर्गियाँ जीवित होना अवगत कराया गया। उक्त दोनों शेडों को खाली कराये जाने हेतु उपजिलाधिकारी सफीपुर, उन्नाव के पत्र दिनांक 04.11.2025 (संलग्नक–03) द्वारा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उन्नाव को प्रेषित किया गया।

प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म के संचालक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ में रिट–सी सं0........ ऑफ 2025 Poultry Farm, Village-Rahimabad Tehsil- Safipur, Police StationAsiwan, District-Unnao, run by M/s Burlington Layer Farm, Ezma Plaza, 33 Cantt. Road Lucknow through its Partner Attan Miya@Ataur Rahman Siddique दायर की गयी है। अवगत होना चाहें वर्तमान तक उक्त पोल्ट्री फार्म में मुर्गियाँ मौजूद है। जिसके कारण ग्रामवासी श्री नीरज कुमार, राजेन्द्र प्रसाद, विक्रम सिंह, राज बहादुर, संतोष कुमार एवं अन्य लगभग 80 ग्रामवासियों द्वारा दिनांक 19.11.2025 को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ का घेराव किया गया। उक्त ग्रामवासियों द्वारा राज्य बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ का पूर्व में भी घेराव किया गया तथा बोर्ड मुख्यालय के अधिकारियों को दूरभाष पर घेराव किये जाने की चेतावनी भी दी जा रही है।

उक्त के दृष्टिगत महोदय से अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण पर प्रभावी कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
19/11/2025
(शशि बिन्दकर)
क्षेत्रीय अधिकारी

...2...

क्षेत्रीय कार्यालय : बी–18/3, आवास कालोनी, उन्नाव–209801, दूरभाष/फैक्सः 0515–2830488, ई–मेल–rounnao@uppcb.in
मुख्यालयः टी0सी0–12वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, दूरभाष : 0522–2720828, 2720681,
फैक्स : 0522–2720764
D:\UPPCB\CEO S.docx

(2)

प्रतिलिपिः—

1. निजी सहायक, अध्यक्ष महादेय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. सदस्य सचिव महादेय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशासन), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि बोर्ड मुख्यालय स्तर से भी सम्बन्धित विभाग को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

ANNEXURE R-10

बोर्ड मुख्यालय के पत्र संदर्भ सं0–एच–34014/सी–5/वायु–166/2025 दिनांक 29.10.2025 द्वारा ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव में संचालित पोल्ट्री फार्म मै0 अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव के विरूद्ध जारी बंदी आदेश के कम में जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव के पत्रांत्र सं0–649/एन0ओ0सी0–1691/2025 दिनांक 30.10.2025 के अनुपालन के संबंध में आख्या।

कृपया उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक–एच–34014/सी–5/वायु–166/2025 दिनांक 29.10.2025 द्वारा ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव में संचालित पोल्ट्री फार्म मै0 अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव, को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31 (ए) के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का अनुपालन/कियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी उन्नाव के पत्रांत्र सं0–649/एन0ओ0सी0–1691/2025 दिनांक 30.10.2025 द्वारा संयुक्त समिति का गठन किया गया है। गठित समिति द्वारा पूर्व में दिनांक 04.11.2025 को संदर्भित पोल्ट्री फार्म मै0 अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म स्थल पर 02 शेड्स में मुर्गी पालन का कार्य किया जाता पाया गया था। तत्समय 02 शेड्स में जीवित मुर्गियों का पालन किया जाता पाये जाने के कारण, शेड्स को सील नही किया गया। मात्र पोल्ट्री फार्म में स्थापित 40 के0वी0ए0 क्षमता के 01 अदद डी0जी0 सेट को सील किया गया था, तथा विद्युत विभाग द्वारा पोल्ट्री फार्म की विद्युत संयोजन विच्छेदन किया गया था। निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म स्वामी द्वारा संयुक्त समिति को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लिखित किया गया कि स्थापित 02 अदद शेड्स की मुर्गियों को 03 दिवस के अन्दर अन्य जगह पर स्थानांतरित कर, शेड्स को खाली कर दिया जायेगा।

अग्रेतर दिनांक 19.11.2025 को उपजिलाधिकारी सफीपुर, उन्नाव द्वारा दिये गये मौखिक निर्देशो के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा संदर्भित पोल्ट्री फार्म मै0 अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पोल्ट्री फार्म में स्थापित 01 शेड पूर्णतया खाली पाया गया एवं 01 अदद शेड में मुर्गी पालन का कार्य किया जाता पाया गया। इस संबंध में निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इनके द्वारा 01 शेड्स की मुर्गियों को अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। तत्क्रम में खाली शेड एवं उक्त शेड की अन्य सुविधाओं को संयुक्त समिति द्वारा सील किया गया एवं 01 अदद शेड्स में संरक्षित मुर्गियों को यथाशीघ्र उक्त शेड्स से अन्य उपयुक्त स्थल पर स्थानांतरित किये जाने हेतु उपस्थित प्रतिनिधि को संयुक्त समिति द्वारा निर्देशित किया गया।

संदर्भित पोल्ट्री फार्म के विरूद्ध जारी उपरोक्त वर्णित बंदी आदेश दिनांक 29.10.2025 के अनुपालन के संबंध में कृत कार्यवाही की आख्या आपके अवलोकनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

राजस्व निरीक्षक, तहसील–सफीपुर, उन्नाव।	अवर अभि0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव	उप निरीक्षक, थाना–आसीवन, उन्नाव	सहा0पर्या0अभि0–01 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव	सहा0पर्या0अभि–02 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव	उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी सफीपुर, उन्नाव।

बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं H-3401HC-S/वायु-166/2025 दिनांक 29.10.2025 द्वारा ग्रा० रहीमाबाद त०-सफीपुर थाना-आसीवन, जनपद-उन्नाव मे संचालित पोल्ट्री फार्म मे० अलन मिया द्वारा संचालित पोल्ट्री के विरूद्ध जारी बंदी आदेश के क्रम जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव के पत्रांक संख्या-649/NOC-1691/2025 दिनांक 30-10.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध मे आख्या

कृपया उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक H-3401HC-S/वायु-166/2025 दिनांक 29.10.25 द्वारा मे० अलन मिया द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म ग्रा० रहीमाबाद त० सफीपुर, थाना-आसीवन जनपद उन्नाव को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31(A) के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश के अनुपालन / क्रियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी उन्नाव के पत्र सं० 649/NOC-1691/2025 दि० 04.11.25 को संदर्भित पोल्ट्री की समिति का गठन किया गया गठित समिति द्वारा पूर्व मे दिनांक 04.11.2025 को संदर्भित पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान उपरगत पोल्ट्री फार्म के स्थल पर 02 शेड्स मे मुर्गी पालन का कार्य किया जाता पाया गया था दोनो शेड्स मे जीवित मुर्गिया होने से शेडस को शील नही किया जा सका मात्र 40 KVA क्षमता के 01 नग DG Set को सील किया गया तथा विद्युत विभाग द्वारा पोल्ट्री फार्म का विद्युत विच्छेदन किया गया

तदोपरान्त दिनांक 19.11.2025 को उपजिलाधिकारी सफीपुर, उन्नाव द्वारा दिये गये मौखिक निर्देशों के अनुपालन मे गठित समिति द्वारा संदर्भित पोल्ट्री फार्म का औचक निरीक्षण किया गया पोल्ट्री फार्म मे स्थापित 1 शेड की मुर्गिया खाली पाया गया एवं 1 अदद शेड मे मुर्गी पालन का कार्य किया जाता पाया गया तत्क्रम मे खाली शेड एवं उक्त शेड की अन्य सुविधाओ को संयुक्त समिति द्वारा शील किया गया गठित समिति द्वारा दिनांक 18/12/2025 को निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान 1 अदद शेड मे जीवित मुर्गियां नही पायी गयी उक्त पोल्ट्री फार्म के दूसरे शेड को भी शील कर दिया गया है। वर्तमान मे मुर्गी फार्म के दोनो शेड एवं DG. Set सील है। पूर्व मे किये गये शेड सील एवं DG. set के सील सुरक्षित पाये गये सीलिंग प्रक्रिया के उपरान्त सभी सीलो एवं मुर्गी फार्म की निगरानी हेतु थाना आसीवन को समिति द्वारा तथा नायब तहसीलदार सफीपुर द्वारा निगरानी करने हेतु निर्देशित किया समिति की आख्या हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत है।

SI मानिकनाथ वर्मा
PS आसीवन-उन्नाव
दि० 18-12-25

(डॉ० देवेन्द्र कुमार)
उपमुख्य पशुचिकित्साधिकारी
सफीपुर

(उपेन्द्र कुमार)
सहायक अभियन्ता [illegible]

दिनेश कुमार
नायब तहसीलदार

[illegible] UPPCB, उन्नाव

संलग्नक-04

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, UNNAO

संदर्भ सं0/Ref.No. 7/7 /एन0ओ0सी0-1691/2025 दिनांक/Date- 20/11/2025

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

ई-मेल द्वारा

विषय: श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम-रहीमाबाद, थाना-आसीवन, तहसील-सफीपुर, जनपद-उन्नाव के विरूद्ध राज्य बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक 29.10.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या-एच-34014/सी0-5/वायु-166/2025 दिनांक 29.10.2025 ग्राम-रहीमाबाद, तहसील-सफीपुर, थाना-आसीवन, जनपद-उन्नाव में संचालित पोल्ट्री फार्म मै0 अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम-रहीमाबाद, तहसील-सफीपुर, थाना-आसीवन, जनपद-उन्नाव के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 (ए) के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में अवगत कराना है कि उक्त बन्दी आदेश दिनांक 29.10.2025 के अनुपालन में प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म को खाली कराये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव को पृष्ठाकिंत निर्देशित है। उक्त बन्दी आदेश के कियान्वयन हेतु जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव के पत्रांक-649/एन0ओ0सी0-1691/2025 दिनांक-30.10.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 04.11.2025 को श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम-रहीमाबाद, थाना-आसीवन, तहसील-सफीपुर, जनपद-उन्नाव की बन्दी आदेश के कियान्वयन हेतु विद्युत विभाग, उन्नाव द्वारा विद्युत संयोजन एवं एक नग डी0जी0सेट सीलिंग की कार्यवाही की गयी। निरीक्षण के समय मौके पर दोनों शेडों में लगभग 22000 मुर्गियाँ जीवित होना अवगत कराया गया। उक्त दोनों शेडों को खाली कराये जाने हेतु उपजिलाधिकारी सफीपुर, उन्नाव के पत्र दिनांक 04.11.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उन्नाव को प्रेषित किया गया।

अग्रेतर दिनांक 19.11.2025 को उपजिलाधिकारी सफीपुर, उन्नाव द्वारा दिये गये मौखिक निर्देशो के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा संदर्भित पोल्ट्री फार्म मै0 अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम-रहीमाबाद, तहसील-सफीपुर, थाना-आसीवन, जनपद-उन्नाव का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पोल्ट्री फार्म में स्थापित 01 शेड पूर्णतया खाली पाया गया एवं 01 अदद शेड में मुर्गी पालन का कार्य किया जाता पाया गया।

प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म के संचालक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ में रिट-सी सं0......... ऑफ 2025 Poultry Farm, Village-Rahimabad Tehsil- Safipur, Police StationAsiwan, District-Unnao, run by M/s Burlington Layer Farm, Ezma Plaza, 33 Cantt. Road Lucknow through its Partner Attan Miya@Ataur Rahman Siddique दायर की गयी है। अवगत हो कि वर्तमान तक उक्त पोल्ट्री फार्म में मुर्गियाँ मौजूद है। जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म को जारी बंदी आदेश दिनांक 29.10.2025 का अनुपालन, पोल्ट्री फार्म द्वारा सुनिश्चित नही किया जा रहा है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 (ए) के प्रावधानो का उल्लंघन है।

......2......

(2)

अतः उक्त पोल्ट्री फार्म के संचालकगण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ में दायर रिट–सी सं0........ ऑफ 2025 Poultry Farm, Village-Rahimabad Tehsil- Safipur, Police StationAsiwan, District-Unnao, run by M/s Burlington Layer Farm, Ezma Plaza, 33 Cantt. Road Lucknow through its Partner Attan Miya@Ataur Rahman Siddique के आलोक में पोल्ट्री फार्म के संचालकगण के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने के संबंध में विधि अनुभाग से विधिक अभिमत प्राप्त करते हुए इस कार्यालय को आवश्यक दिशा निर्देश/मार्ग दर्शन प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शशि विन्दकर)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. निजी सहायक, अध्यक्ष महादेय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. सदस्य सचिव महादेय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. मुख्य विधि अधिकारी/प्रभारी विधि अनुभाग, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, UNNAO

संदर्भ सं0/**Ref.No.** 788/एन0ओ0सी0–1691/2025 दिनांक/**Date**–19/12/2025

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

ई–मेल द्वारा

विषय– श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, थाना–आसीवन, तहसील–सफीपुर, जनपद–उन्नाव के विरूद्ध राज्य बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक 29.10.2025 का अनुपालन/ कियान्वयन सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच 34014/सी0–5/वायु–166/2025 दिनांक 29.10.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबध में बोर्ड मुख्यालय द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31ए अन्तर्गत निर्गत बंदी आदेश के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी उन्नाव के पत्रांक–649/एन0ओ0सी0–1691/2025 दिनांक 30.10.2025 द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा पूर्व में दिनांक 04.11.2025 को संदर्भित पोल्ट्री फार्म के स्थल पर 02 शेड्स में मुर्गी पालन कार्य किया जाता पाया गया था। दोनो शेड्स में जीवित मुर्गिया होने से शेड्स को सील नही किया जा सका मात्र 40 के0वी0ए0 क्षमता के 01 नग डी0जी0 सेट को सील किया गया तथा विद्युत विभाग द्वारा पोल्ट्री फार्म को विद्युत विच्छेदन किया गया था। उक्त गठित समिति द्वारा दिनांक 19.11.2025 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 01 अद्द शेड एवं उसकी समस्त सुविधाओं को सील किया गया। उक्त बन्दी आदेश के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी, सफीपुर, उन्नाव से दिनांक 18.12.2025 में हुई वार्ता के कम में उनके द्वारा अवगत कराया गया कि एक शेड जिसमें मुर्गियाँ थी, को पूर्णतया खाली करा दिया गया है तथा सील किये जाने हेतु कहा गया। तत्क्रम में दिनांक 18.12.2025 को पूर्णतः बंदी सुनिश्चित किये जाने हेतु उक्त पोल्ट्री फार्म के शेष एक शेड को सील किया गया। उक्त कार्यवाही की आख्या एवं फोटोग्राफ्स संलग्नकर आपके अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(शशि विन्दकर)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्राधिकारी पुलिस, आसीवन, उन्नाव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : बी–18/3, आवास कालोनी, उन्नाव–209801, दूरभाष/फैक्सः 0515–2830488, ई–मेल–rounnao@uppcb.in
मुख्यालयः टी0सी0–12वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, दूरभाष : 0522–2720828, 2720681,
फैक्स : 0522–2720764
D:\UPPCB\CEO 5.docx

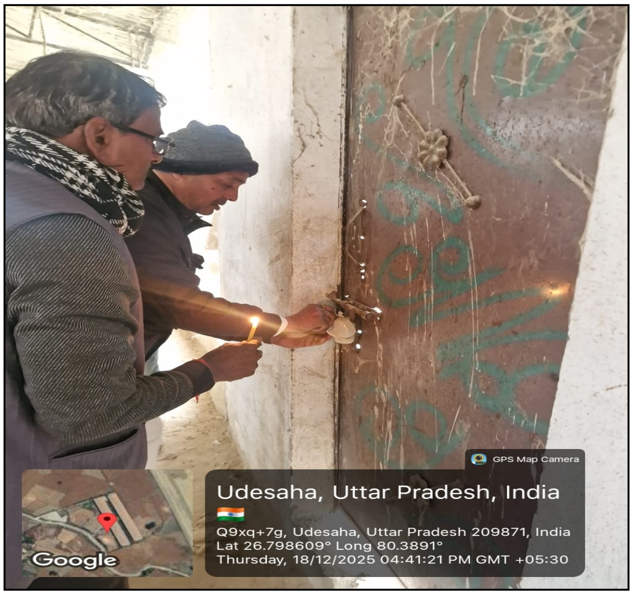
GPS Map Camera
Udesaha, Uttar Pradesh, India
Q9xq+7g, Udesaha, Uttar Pradesh 209871, India
Lat 26.798609° Long 80.3891°
Thursday, 18/12/2025 04:41:21 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Udesaha, Uttar Pradesh, India
Q9xq+7g, Udesaha, Uttar Pradesh 209871, India
Lat 26.798614° Long 80.389092°
Thursday, 18/12/2025 04:41 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Khera Town, Uttar Pradesh, India
Bari Thana, Pikhi Road, Mulbi, Khera Town, Uttar Pradesh 209870, India
Lat 26.799257° Long 80.388936°
Thursday, 18/12/2025 04:34 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Udesaha, Uttar Pradesh, India
Q9xq+7g, Udesaha, Uttar Pradesh 209871, India
Lat 26.798597° Long 80.389102°
Thursday, 18/12/2025 04:42 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Udesaha, Uttar Pradesh, India
Q9xq+7g, Udesaha, Uttar Pradesh 209871, India
Lat 26.798597° Long 80.389102°
Thursday, 18/12/2025 04:42 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Khera Town, Uttar Pradesh, India
Bari Thana, Pikhi Road, Mulbi, Khera Town, Uttar Pradesh
209870, India
Lat 26.79921° Long 80.388982°
Thursday, 18/12/2025 05:33 PM GMT +05:30
Google